कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

चैत्र–वैशाख 2081, अप्रैल 2024

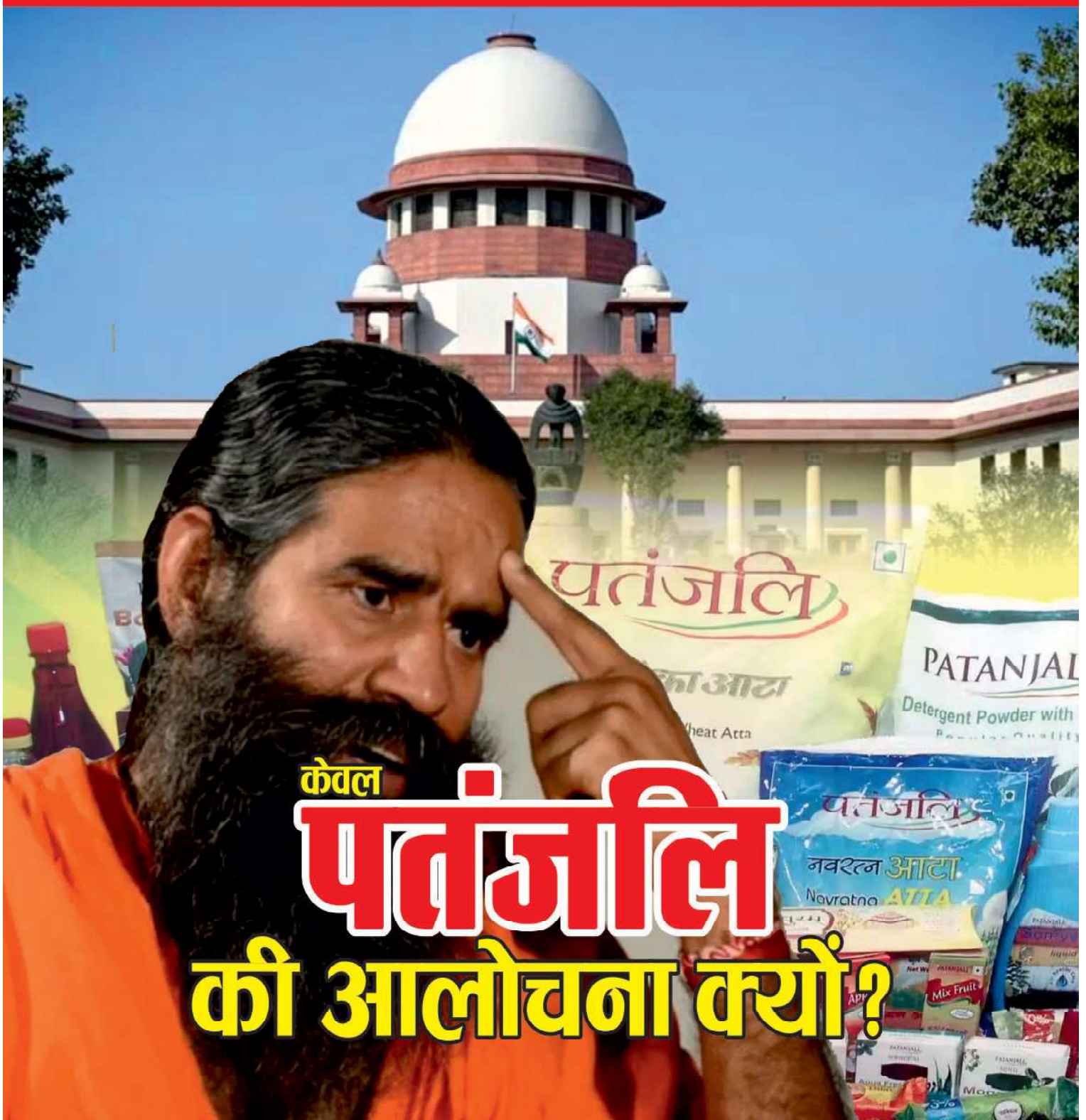

केवल पतंजलि की आलोचना क्यों?

स्वदेशी गतिविधियां

भारत@2047 पर एकदिवसीय सेमिनार

सचित्र झलक

युवा उद्यमी सम्मेलन – जोधपुर (राजस्थान)

स्वावलंबी भारत अभियान-बैठक, त्रिवेंद्रम (केरल)

विचार गोष्ठी, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

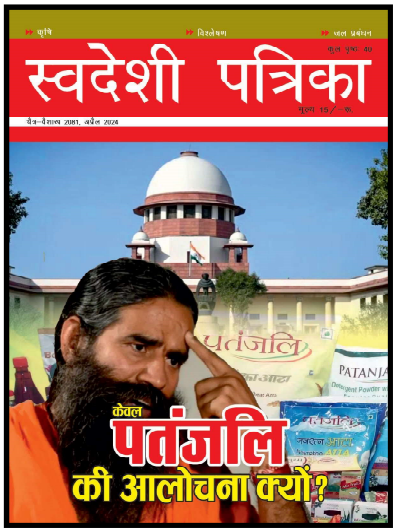

वर्ष–32, अंक–4
चैत्र–वैशाख 2081 अप्रैल 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–08
केवल पतंजलि की आलोचना क्यों?
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
08 **आवरण कथा–2**
कानून में योग–आयुर्वेद का जिक्र नहीं, तो पतंजलि पर प्रतिबंध क्यों? ..... संजय तिवारी
10 **विश्लेषण**
बंगालः एक आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य ..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल
12 **आजकल**
विश्व प्रसन्नता सूचकांकः सावन के अंधों को सूझत है हरो–हरो ..... अनिल तिवारी
14 **बहस**
चीन किस उद्देश्य से बदलता है दूसरों के क्षेत्रों के नाम? ..... विक्रम उपाध्याय
16 **विमर्श**
वर्ष प्रतिपदा हिंदू कालगणना वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ..... प्रहलाद सबनानी
18 **कृषि**
मूल्य अंतर राहत के बजाय मिले गारंटीशुदा कीमत ..... देविन्दर शर्मा
20 **आर्थिकी**
भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग ..... स्वदेशी संवार्द
22 **मुद्दा**
विकसित भारत की संकल्पना ..... विनोद जौहरी
24 **महिला**
जल–योद्धा के रूप में मोर्चा संभाले महिलाएं ..... वैदेही
26 **जल प्रबंधन**
पानी के अभाव की पथरीली परतें ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा
28 **विचार**
ज्योतिबा फुले व डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से लाई सामाजिक क्रांति ..... डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा
30 **आत्मनिर्भर भारत**
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दवा क्षेत्र ..... स्वदेशी संवाद
32 **स्वास्थ्य**
नकली और मिलावटी दवाओं से नागरिकों को बचाने की जरूरत ..... शिवनंदन लाल
34 **जयंती**
विश्व के लिए उपहार हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं ..... अनुपमा अग्रवाल

पाठकनामा

केजरीवाल को कड़ी फटकार

दिल्ली के स्कूली बच्चों को समय से पाठय पुस्तकें नहीं मिलने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाकर निगमायुक्तों से सीमा से बाहर जाकर आवश्यक राशि जुटाने तथा समय सीमा के भीतर बच्चों को पाठय सामग्री मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला निजी तौर पर किया है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि स्कूली बच्चों के मौलिक अधिकारों को भी रौंद दिया जाए। सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ में कहा कि दिल्ली व्यस्त राजधानी ही नहीं है, बल्कि उसका या किसी भी अन्य राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है।

अब ऐसे में यह जरूरी है कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित को देखते हुए इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए संपर्क से दूर या अनुपस्थित न रहे। माना जा रहा है कि अदालत की फटकार के बाद बच्चों के पाठ्य पुस्तकों का मामला तो हल हो जाएगा, लेकिन यह अंतिम मामला नहीं है, इस तरह के और भी मसले भविष्य में खड़े होंगे। मालूम हो कि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं, तभी से दिल्ली सरकार और उसे आवंटित धन के जरिए काम चलाने वाले नगर निगम में सारा कामकाज ठप्प सा पड़ गया है। वे अपनी इच्छा के हिसाब से जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे यहां विधान में इस बाबत कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जिसका सहारा लेकर वह गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बैठे हुए हैं। आदर्श स्थिति तो वह होती कि जिस दिन मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए नैतिकता के आधार पर उसी दिन वह अपने पद से इस्तीफा देते तथा अपनी ही पार्टी के किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते, जो दिल्ली की जनता के सुख–दुख का 24 घंटे ख्याल रखता। लेकिन उनकी जिद के कारण ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता से जुड़े कार्यों में भी अगर राजनीति होने लगेगी तो आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ेगी ही।

डॉक्टर पराक्रम सिंह, धुंधरी, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

पिछले एक दशक में भारत में (सीएआर–टी सेल) थेरेपी का विकास और अक्टूबर 2023 में इसकी मंजूरी भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के कौशल के बारे में बहुत कुछ कहती है।

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

योजना अवधि के दौरान मुख्य रूप से दुर्लभ संसाधनों के आवंटन से संबंधित एक केंद्रीय बैंक होने से, आरबीआई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए एक समर्थक बनने में परिवर्तित हो गया है।

शशीकांत दास, गवर्नर, आरबीआई

वे (फ्लिप्ड स्टार्टअप) भारत में सूचीबद्ध होना चाहते हैं क्योंकि यहीं से मूल्यांकन मिलता है। भारत की विकास गाथा दुनिया में अद्वितीय है, इसीलिए वे यहां आना चाहते हैं।

पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य एलोपैथिक डॉक्टरों के पास आयुर्वेद या आयुष कंपनियों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति खासकर आयुर्वेद रोग होने के बाद इलाज करने से ज्यादा रोग को होने से रोकने के तौर–तरीकों को अपनाने का ज्यादा रहा है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

अपराधी वे हैं, जो समाज को जाति व धर्म में बांटते हैं

भारत में चुनावी माहौल हर दिन गर्म होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने–अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) में साफ कहा है कि वह सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी। पार्टी का मुख्य फोकस भारत के युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर है। जब कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि देश को जाति के नाम पर बांटना "पाप" है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए चार सबसे बड़ी जातियाँ युवा, महिलाएं, गरीब और किसान हैं और उनकी पार्टी उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी।

पीएम के रूप में मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, जाति और धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। सरकार ने गरीबों को घर के लिए सब्सिडी, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीबों के लिए शौचालय, बिजली, पानी की सुविधा या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदान किया। सभी को सरकारी सहायता उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रदान की जाती है, न कि जाति या धर्म के आधार पर। लेकिन जाति जनगणना का बार–बार जिक्र करने से इस बात की बू आती है कि ये राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

हैदराबाद में एक रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो पार्टी जाति सर्वेक्षण के वादे के बाद देश की संपत्ति, नौकरियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक रूप से पुनर्निधारण करेगी। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "हम एक जाति जनगणना करेंगे ताकि पिछड़े, एससी, एसटी, सामान्य जाति के गरीबों और अल्पसंख्यकों को पता चले कि देश में उनकी (संख्या के संदर्भ में) कितनी हिस्सेदारी है। इसके बाद, यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा कि देश की संपत्ति किसके पास है।"

हालांकि पुनर्वितरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट हैः 'जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या, उसको उतने ज्यादा अधिकार'। कैसे? पार्टी की मंशा चार बिंदुओं पर स्पष्ट हो जाती हैः पहला, विभिन्न जातियों और अल्पसंख्यकों के आकार का अनुमान लगाया जाएगा। दूसरा, वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण से पता चलेगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। तीसरा, वे क्रांतिकारी कार्य करेंगे और सभी को उनका अधिकार दिलाएंगे। चौथा, इस बारे में भी स्पष्टता है कि किसे कितना मिलेगा – 'जितनी आबादी उतना हक', यानी जनसंख्या के अनुपात में अधिकार।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2006 में कुछ ऐसा ही कहा था। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्व पीएम का बचाव करते हुए तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, जो उन्होंने कहा हमें उसकी गहराई में जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, "मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैंः कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ–साथ एससी/एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और महिलाएं व बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए।"

हालांकि, डॉ. सिंह ने एससी और एसटी के उत्थान के लिए बनाई गई नीतियों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का अलग से जिक्र किया। उस समय के समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। चूंकि यह एक लिखित भाषण था, इसलिए जुबान फिसलने का कोई बहाना नहीं हो सकता। यह राहुल गांधी या मनमोहन सिंह के बारे में नहीं है, बल्कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों से लुभावने वादे करके वोट हासिल करने के बारे में है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार देश के हर वर्ग के साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने की होड़ में राजनीतिक दल समाज और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जाति जनगणना के बाद वे देश में धन और नौकरियों का आकलन करने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करेंगे जिसके बाद वह 'क्रांतिकारी' कदम उठाएगी और सभी को उनका अधिकार देगी, जो उनकी आबादी के अनुसार होगा।

पीएम मोदी 2006 के मनमोहन सिंह का हवाला दे रहे थे और कांग्रेस के न्याय पत्र को समझा रहे थे। उनके अनुसार, कांग्रेस मुसलमानों, अधिक बच्चों वाले लोगों, घुसपैठियों को पैसे बांटेगी। भारतीय मुस्लिम आबादी 1951 में 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 14.2 प्रतिशत हो गई। यह समझ से परे है कि राजनीतिक टिप्पणीकार, जो अपने बयान के लिए पीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने पर कांग्रेस के 'क्रांतिकारी' वादे पर चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता; दोषी वे लोग हैं जो राजनीतिक लाभ कमाने के लिए जाति/धर्म को वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखते हैं।

केवल पतंजलि की आलोचना क्यों?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य एलोपैथिक डॉक्टरों के पास आयुर्वेद या आयुष कंपनियों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। योग गुरु रामदेव और उनके ब्रांड पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों के आरोपों के बीच, स्वास्थ्य सेवा के भीतर पारदर्शिता और नैतिकता के व्यापक मुद्दे को हल करने के बजाय, सारा ध्यान एक प्रणाली के रूप में आयुर्वेद की ओर ही जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में, देश में एलोपैथिक डॉक्टरों के सबसे बड़े नेटवर्क, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने पतंजलि पर एलोपैथी के बारे में अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया है और मांग की है कि ब्रांड को भ्रामक विज्ञापन जारी करने से रोका जाए। आईएमए ने कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान आधुनिक चिकित्सा और टीकों के बारे में रामदेव के विवादास्पद बयानों की ओर भी इशारा किया। इस संबंध में, फरवरी में अदालत ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए आपत्ति दर्ज की, खासकर तब जब उसने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह ऐसा नहीं करेगा. फिर अप्रैल में, अदालत ने रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह "अनिच्छा" से मांगी गई थी। चल रही कानूनी कार्यवाही में, आईएमए का पक्ष मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि अदालत इस बात से सहमत है कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों का दोषी है।. लेकिन चिंता यह है कि अनैतिक तौर–तरीकों को केवल पारंपरिक चिकित्सा के साथ जोड़ा जा रहा है और इस तरह उन्हें बदनाम किया जा रहा है।

आयुर्वेद भी महत्वपूर्ण है

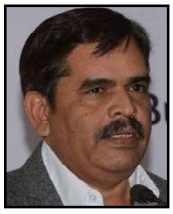

आईएमए और अन्य एलोपैथिक डॉक्टरों के पास आयुष या आयुष कंपनियों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। सभी चिकित्सा प्रणालियों का अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

आज, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में हावी है। इसके बाद कुछ हद तक होम्योपैथी जैसे वैकल्पिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह समझना होगा कि एलोपैथी आयुर्वेद की तुलना में बहुत नई चिकित्सा प्रणाली है।

भारत में, एलोपैथी के आगमन से पहले; यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा जैसी अन्य पारंपरिक प्रणालियों के साथ–साथ आयुर्वेद इलाज का प्रमुख आधार था. हालांकि अब यहां भी एलोपैथी और होम्योपैथी का बोलबाला है, लेकिन आयुर्वेद अभी भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिसके बारे में भारतीय साहित्य में काफी कुछ लिखा गया है। कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों, सर्जनों, डॉक्टरों और दवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

हाल के दिनों में, भारत सरकार ने आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के माध्यम से चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हालांकि, ऐसे कई मौके आए हैं जब एलोपैथिक डॉक्टरों और उनके समूहों ने अन्य चिकित्सा प्रणालियों का मजाक उड़ाया। आईएमए जैसे संगठनों के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एलोपैथिक चिकित्सक गलत सूचना देने और गलत तौर–तरीके अपनाने के हकदार हैं।

चिकित्सा और 'नैतिक' लाभ?

पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के कथित उल्लंघन से उपजी है। लेकिन यह मुद्दा किसी एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तक सीमित नहीं है; बल्कि यह एलोपैथिक चिकित्सा

सहित सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों पर लागू होती है।

वास्तव में, कुछ साल पहले, आईएमए ने अपने सदस्यों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के कोड ऑफ एथिक्स रेग्युलेशन और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऐक्ट के उल्लंघन का हवाला देते हुए "कोई इलाज नहीं, कोई भुगतान नहीं" या "गारंटीड इलाज" जैसे दावों का विज्ञापन करने से परहेज करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश तब आया जब मुंबई में आईवीएफ क्लिनिक चलाने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति का गारंटीशुदा गर्भावस्था का वादा करने और उपचार विफल होने पर रिफंड की पेशकश करने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

लेकिन आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी कभी–कभी अनुचित तरीके से कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स का प्रचार करके नियमों का उल्लंघन किया है या उनकी अवहेलना की है। उदाहरण के लिए, 2008 में, आईएमए को अंतर्राष्ट्रीय समूह पेप्सिको के ट्रॉपिकाना जूस और क्वेकर ओट्स का प्रचार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसी तरह के विवाद का सामना 2015 में एक वॉटर प्यूरीफायर के एक ब्रांड का प्रचार करने के साथ और 2019 में एक कथित एंटी माइक्रोबियल लाइट बल्ब के "सर्टिफिकेशन" के साथ उठे थे।

इतना ही नहीं, 2019 में एनजीओ सपोर्ट फॉर एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ इनिशिएटिव्स (SATHI) की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि प्रमुख दवा कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव एलोपैथिक डॉक्टरों को अपनी दवाएं और अन्य उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए रिश्वत देते हैं। इसके परिणामस्वरूप बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनियों को ऐसी प्रथाओं से दूर रहने की चेतावनी दी।

हालांकि नियमों को लागू करने की अदालत की मंशा सराहनीय है, लेकिन जरूरत कानून को एक समान और निष्पक्ष तरीके से लागू करने की है। पारदर्शिता, विश्वास और हेल्थकेयर कम्युनिकेशन और प्रेक्टिस के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए केवल रामदेव ही नहीं, हर डॉक्टर और संगठन को इन नियमों का पालन करना चाहिए।

पिछले साल, जब भारत सरकार ने डॉक्टरों के लिए उनके जेनरिक नामों के साथ दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया था, ताकि लोगों को सस्ते में दवाइयां उपलब्ध हो सकें, तो आईएमए सहित कई डॉक्टरों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था, कि "ड्रग ईकोसिस्टम" इसके लिए तैयार नहीं है।

एक ओर, सरकार बड़ी संख्या में जेनेरिक दवाओं की बिक्री के लिए जन औषधि केंद्र खोल रही है और डॉक्टरों व अस्पतालों द्वारा एथिकल प्रेक्टिस के नियमों को सख्त करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, आईएमए और उसके सदस्य फार्मा कंपनियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने जैसे अपने लाभों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में एलोपैथिक डॉक्टरों और उनके संगठनों द्वारा नैतिकता की बात हास्यास्पद लगती है।

कोविड–19 में सभी सिस्टम फेल हो गए

2022 में, आईएमए ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें केंद्र सरकार, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से एलोपैथिक चिकित्सा को नीचा दिखाकर आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। इसने आधुनिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत सूचना के प्रसार के बारे में चिंता जताई और तर्क दिया कि पतंजलि के विज्ञापन ने मौजूदा कानूनों का उल्लंघन किया है। पतंजलि को लेकर ज्यादातर विवाद इसके फॉर्म्युलेशन कोरोनिल पर केंद्रित है, जिसकी सिफारिश आयुष मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के लिए एक सहायक दवा के रूप में की थी।

सर्वविदित है कि कोविड के दौरान तथाकथित साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति एलोपैथी भी अप्रभावी साबित हो रही थी। शुरुआत में एब्ल्यूएचओ समेत हर कोई अंधेरे में था। सभी दवाएं केवल 'परीक्षण और त्रुटि (ट्रायल एंड एरर)' के आधार पर दी जा रही थीं और कई का स्पष्ट तौर पर कोई लाभ नहीं दिख रहा था। ऐसी स्थिति में, कई भारतीयों ने "काढ़ा" पर भरोसा किया। काढ़ा एक ऐसा आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें एलोपैथिक दवाओं का कोई अंश भी नहीं होता है। इस संदर्भ में, यदि पतंजलि ने कोरोनिल या किसी अन्य दवा का प्रचार किया और कथित तौर पर उससे भारी मुनाफा कमाया, तो क्या यह भी सच नहीं है कि फार्मा कंपनियों ने ऐसी दवाएं बेचकर बहुत अधिक कमाई नहीं की जिनसे कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ?

बिना इस बात की गारंटी के कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन प्रभावशाली हैं, ऊंची कीमतों पर इन्हें बेचा गया, जिससे दवा कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इस दौरान, हजारों लोगों ने अस्पतालों में अपनी जान गंवाई, जिससे आम जनता के बीच यह व्यापक धारणा बन गई कि घर पर ही कोविड का इलाज करना सुरक्षित है।

यह समझना होगा कि सवाल आरोप–प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि नैतिकता का है। आईएमए और अन्य एलोपैथिक डॉक्टरों के पास आयुष या आयुष कंपनियों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। सभी चिकित्सा प्रणालियों का अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।❑❑

जब कानून में योग-आयुर्वेद का जिक्र नहीं तो पतंजलि के विज्ञापनों पर प्रतिबंध क्यों?

2 अप्रैल 2024 को पतंजलि आयुर्वेद की ओर से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि "यदि यह बचाव करने योग्य नहीं है तो आपका माफी मांगना काम नहीं आयेगा।" असल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आईएमए की याचिका पर सुनवाई के बाद 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश दिया था कि वह आयुर्वेद के नाम पर भ्रामक विज्ञापनों का सहारा न लें। अगर वो ऐसा करना जारी रखेंगे तो उन पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले के अगले ही दिन बाबा रामदेव ने प्रेस कांफ्रेस करके अपनी सफाई दे दी। इसके बाद भी उनके वो विज्ञापन आते रहे जिसमें वो हृदय रोग, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का आयुर्वेद के माध्यम से संपूर्ण इलाज का दावा करते हैं।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुनः इसी साल फरवरी में जब यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना माना। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 अप्रैल को आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। इसी आदेश के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

बाबा रामदेव पर आरोप है कि वो भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेकर असाध्य रोगों को भी योग तथा आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से समाप्त करने का दावा करते हैं। आईएमए के मुताबिक यह उस कानून का उल्लंघन है जिसे 1954 में बनाया गया था। 1954 में ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडी एक्ट (आपत्तिजनक विज्ञापन) संसद से पारित किया गया था जिसके सेक्सन–3 में कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों का प्रसार नहीं किया जा सकता जो गंडे ताबीज, झाड़फूंक, मंत्र या कवच पर आधारित होंगे। इस कानून में न तो योग का उल्लेख है और न ही आयुर्वेद का। इसका मतलब योग और आयुर्वेद के जरिए अगर प्रामाणिक रूप से कोई किसी असाध्य रोग का इलाज करता है तो उस पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होते। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किस आधार पर बाबा रामदेव के योग आयुर्वेद वाले फार्मूले पर केस किया यह तो वही जाने क्योंकि बाबा रामदेव गंडे ताबीज का विज्ञापन तो करते नहीं। हां, वो मंत्र जरूर बोलते और बुलवाते हैं। अगर यह आईएमए को बुरा लगता है तो निश्चित रूप से इस कानून के मुताबिक बाबा रामदेव पर केस बनता है।

हालांकि बाबा रामदेव ने कोरोना काल के दौरान कोरोना का इलाज खोज लेने का दावा किया था जिस पर उनकी काफी भद्द पिटी थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि योग और आयुर्वेद को भी गंडा ताबीज वाली चिकित्सा मानकर साइंटिफिक नजरिए से उसे खारिज कर दिया जाए। यह कानून संभवतः इसलिए बनाया गया था ताकि लोग गंडे ताबीज और झाड़फूंक के नाम पर लोगों को ठगें नहीं। इसलिए यह कानून अगर सचमुच

1954 में बने ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडी कानून अगर सचमुच किसी पर लागू होता है तो वो बंगाली बाबाओं का टोना और गंडे ताबीज में फूंक मारकर शिफा बांटने वाले मुल्ला मौलवियों पर लागू होता है।

–संजय तिवारी

किसी पर लागू होता है तो वो बंगाली बाबाओं का टोना और गंडे ताबीज में फूंक मारकर शिफा बांटने वाले मुल्ला मौलवियों पर लागू होता है। ये लोग देशभर में फैले हैं और दीवारों पर, होर्डिंग के जरिए या फिर पर्ची पैम्पलेट छापकर अपना प्रचार भी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को लागू ही करना है तो देशभर के झाड़फूंक और गंडे ताजीब का कारोबार करनेवालों पर करना चाहिए जो इस तरह का विज्ञापन करते हैं।

इस मामले को देखकर इतना तो साफ लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बाबा रामदेव से पूर्वाग्रह हो न हो, आयुर्वेद से जरूर कोई न कोई पूर्वाग्रह है। अतीत में भी आईएमए के लोग बाबा रामदेव के योग आयुर्वेद वाले फार्मूलों पर प्रहार करते रहे हैं। माडर्न मेडिकल साइंस के लोग मानते हैं कि सिर्फ वही हैं जिनके पास रोगों पर गहरा रिसर्च है और उस रिसर्च के कारण जो दवाइयां बनी हैं सिर्फ वही किसी का साइंटिफिक उपचार कर सकती हैं। ऐसे में अगर कोई योग आयुर्वेद या फिर तंत्र मंत्र से भी चिकित्सा का दावा करता है तो आईएमए की नजर में उसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है।

लेकिन बात सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। माडर्न मेडिसिन मुख्य चिकित्सा पैथी है और इस समय देश में 40 अरब डॉलर का दवा बाजार है, जिसके 2030 तक बढकर 130 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा 4 अरब डॉलर का पैथोलोजी कारोबार, मेडिकल इक्विपमेन्ट का लगभग 11 अरब डॉलर का बिजनेस और डॉक्टरों की फीस ये सब अलग हैं। भारत का जो कुल हेल्थकेयर मार्केट है उसका 80 प्रतिशत मॉडर्न मेडिसिन या ऐलोपैथी के पास है। इसीलिए भारत में मेडिकल टूरिज्म का कल्चर बढ़ रहा है और आमदनी भी।

ऐसे में योग, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी या फिर होम्योपैथी जैसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक समय तो खतरा ही पैदा हो गया था। लेकिन केन्द्र की सरकारों खासकर मोदी सरकार के प्रयास से इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी जीवनदान मिला है। आयुष मंत्रालय के अधीन ये सभी पद्धतियां वैध हैं और इनको उस कानून से नहीं जोड़ा जा सकता जो 1954 में बनाया गया था। नेहरु सरकार चाहती तो उसमें उस समय योग आयुर्वेद सहित सभी परंपरागत पद्धतियों को शामिल करके उन्हें प्रतिबंधित कर सकती थी लेकिन उस समय कानून बनानेवालों ने ऐसा नहीं किया।

फिर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से रामदेव और बालकृष्ण को कटघरे में खड़ा कर दिया? वो लोग तो योग और आयुर्वेद का काम करते हैं जो कि अब भारत ही नहीं यूरोप और अमेरिका के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बनकर उभर रही है। योग और आयुर्वेद के फायदे को देखते हुए तो सऊदी अरब सरकार तक ने इसे मान्यता दे दी है। फिर अगर रामदेव इसी के जरिए असाध्य रोगों को ठीक करने का प्रचार कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं?

पूरी तरह से न सही लेकिन कुछ सीमा तक गलत तो है। आयुर्वेद की अपनी सीमाएं हैं। आयुर्वेद में बीते कई सौ सालों से नया शोध नहीं हुआ है। शताब्दियों पुराने ग्रंथों में दवाइयों का जो फार्मूला बताया गया है आज भी उसी प्रकार से दवाइयां बनती हैं। आयुर्वेद के वैद्य मानते हैं कि ये फार्मूला संपूर्ण हैं इसलिए नया शोध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सौ सालों में मानव शरीर में जो जटिलताएं निर्मित हुई हैं उसकी काट के लिए आयुर्वेद अपर्याप्त है। इसलिए अगर कोई यह दावा करे कि सिर्फ आयुर्वेद के बल पर वह किडनी, फेफड़ा, ब्रेन, हार्ट से जुड़े जटिल रोगों का निदान कर सकता है तो इस पर भरोसा करना गलत होगा।

वैसे भी आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि वह रोग की नहीं बल्कि रोगी की चिकित्सा करता है। मतलब यौगिक और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई अपना जीवन जीता है तो उसके शरीर में रोगों का प्रवेश ही नहीं होगा। वह निरोगी होकर 100 साल का जीवन प्राप्त कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद के नाम पर बड़बोले दावे करना न सिर्फ मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ है बल्कि उस पैथी का भी अपमान है जो रोग से अधिक जीवनशैली और खानपान को ठीक रखने पर जोर देता है।

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के बड़े बड़े दावों ने योग आयुर्वेद का प्रचार तो किया लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों का मोहभंग भी होने लगा। इसका कारण यह था कि इनकी ओर से जितने बड़े–बड़े दावे किये जा रहे थे, लोगों को उससे उतना लाभ मिला नहीं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट उनके बड़बोले दावों पर रोक लगाता है तो यह योग आयुर्वेद के हित में ही होगा क्योंकि इससे सही परिप्रेक्ष्य में लोगों को योग आयुर्वेद की जानकारी और लाभ मिलेगा।

योग में बीते सौ सालों के रिसर्च ने जैसे साबित किया कि आसन प्राणायाम का किस प्रकार शरीर, दिमाग और मन पर सकारात्मक असर होता है उसी प्रकार आयुर्वेद में भी नये शोध की जरूरत है। आर्यवैद्यशाला कोट्टकल जैसे गिने चुने आयुर्वेदिक संस्थान ही हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर आयुर्वेद में एलोपैथी की तरह दवाईयों का कोई मानकीकरण नहीं है। कोई कंपनी चाहे आयुर्वेद के नाम पर जो मन करे वो चूरन बनाकर बाजार में बेच दे। अगर आयुर्वेद को एलोपैथी के समानान्तर विकसित होना है तो इन्हीं दो बातों पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। ❑❑

बंगालः एक आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य

एक तरफ़ जहां भारत की तीसरी विश्व–शक्ति के रूप में उभरने की बात स्पष्ट हो रही है, वहीं थोड़ी सी नज़र अतीत में झांकने की है, जब 1730 ई. के आसपास भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 25 प्रतिशत और प्रथम श्रेणी का स्थान बनाये हुआ था और उस समय का अखंड भारत और उसी समय का अखण्ड बंगाल भी दुनिया की आय का लगभग 15 प्रतिशत भाग हुआ करता था। यह बात और भी स्पष्ट रूप से हमारी वित्तमंत्री ने हाल में कोलकात्ता में कही है कि 1947 तक भारत के उद्योग का लगभग 25 प्रतिशत हुआ करता था, जो कि वर्तमान में घटकर मात्र 2.5 प्रतिशत रह गया है।

बंगाल की राजनीति और अर्थनीति दोनों के परिप्रेक्ष्य में इस बात की समीक्षा और विश्लेषण करने से यह स्पष्ट रूप में समझ में आयेगा कि बंगाल बहुत सी राजनैतिक उतार–चढ़ाव का शिकार हुआ है। जिस बंगाल को अंग्रेजों ने प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बनाया था, उसकी दुर्दशा की शुरुआत भी उन्हीं अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा 1905 में बंग–भंग द्वारा की गई और 1947 में पूर्वी पाकिस्तान तथा 1971 में बांग्लादेश के निर्माण तथा इसके साथ शरणार्थियों तथा घुसपैठियों की समस्या ने बंगाल की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया।

एक समय जो बंगाल आध्यात्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था, और हमारे राष्ट्र का सिरमौर था, वही बंगाल आज एक घनघोर अंधकार और नकारात्मक तथा संकीर्ण मानसिकता का शिकार बन गया है।

बंगाल के आर्थिक संसाधन चाहे, मानव–ऊर्जा, बौद्धिक–ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन या अन्य पूँजीगत संसाधन हों, सभी उत्कृष्ट साधन उपलब्ध होने के बावजूद एक सुदृढ़ राजनैतिक नेतृत्व की कमी है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक शस्य–श्यामला उर्वरक भूमि में गंगा, दामोदर, तीसता, रूप नारायण आदि नदियों द्वारा सिंचित भूमि में जंगल, पहाड़, सागर का तट तथा खनिज के भंडार भरे हैं, किंतु इनका दोहन बंगाल के विकाश में न होकर इनका दुरुपयोग हो रहा है और बंगाल की जनता शोशित हुई है, यहाँ तक कि आज तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि नदी की बालू भी और पाखुर

बंगाल में भी वंचित, शोषित तथा पीड़ित जनता को भी आर्थिक बदहाली से रिहाई जल्दी ही मिलेगी, परंतु इसके लिए राजनैतिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

हाल ही में संदेशखाली में हुए बंगाल की महिलाओं पर हुए अत्याचार के प्रति रोष और प्रदर्शन

के पत्थर भी और रानीगंज की खादानों का कोयला भी माफियाओं की मुट्ठी में क़ैद है।

देश के स्वाधीन होते ही यहाँ के जुट उद्योग को बड़ा झटका लगा जब लगभग सारा कच्चा जुट पैदा करने वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में चला गया। नेहरू की नई इस्पात नीति के द्वारा यहाँ के स्थानीय उत्पादित कोयले को और नज़दीक उड़ीसा से आने वाले लौह–अस्क को महँगा और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से यहाँ के इस्पात उद्योग को भारी चोट पहुँचाई। 1947 में भारत के उद्योग में शीर्ष स्थान रखने वाला बंगाल धीरे–धीरे नक़्शलवाद और फिर कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों की मिलीभगत से गर्त में गिरता गया। 1977–2011 के बामपंथी शाशन ने बंगाल को भारत के आर्थिक नक़्शे के सबसे नीचे स्थान पार ढकेल दिया। यहाँ के उद्योग धंधे बंद होने लगे या अधिकतर बीमारू हो गये। विनियोग का परिवेश बिलकुल समाप्त प्रायः हो गया। सरकारी संस्थाओं का राजनीतिकरण होने लगा। उत्तर बंगाल का चाय उद्योग भी ठप्प पड़ने लगा। उद्योगपति दूसरे राज्यों में जाने लगे और पूँजीपतियों का पलायन तथा उद्यमियों का ह्रास होने लगा। बंगाल उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की जगह उपभोगता आधारित राज्य बन गया। एक समय बाहर से उद्यमी आकर यहाँ नया उद्योग लगाते थे, बाहर से श्रमिक आकर यहाँ रोज़गार करते थे, बाहर से विद्यार्थी आकर पढ़ते थे, बाहर से रोगी आकर यहाँ इलाज करवाते थे, सब कुछ उल्टा हो गया। आज बंगाल के मज़दूर और कारीगर दूसरे राज्यों में परियायी मज़दूरी करते हैं, यहाँ के विद्यार्थी हैदराबाद और बैंगलोर जाकर शिक्षा ग्रहण करते है और वहीं पर नौकरियों ढूँढ रहे हैं।

बंगाल की ऐसी आर्थिक बदहाली और राजनीतिक हिंसा के वातावरण में लोगों ने हताश होकर परिवर्तन की आशा में ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी को चुना किंतु हालात पहले से भी और अधिक ख़राब होने लगे। पहले नंदीग्राम और केशपुर की राजनीतिक हिंसा सुनने में आती थी, सिंगुर के किसानों की बदहाली की घटनायें सुनने में आती थी, अब तो संदेशखाली जैसी दर्दनाक और सरकारी ख़ज़ानों की लूट हो रही है। सरकारी कोष का दिवाला निकल गया है और सरकार हर वर्ष कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। 2011 में तृणमूल ने जब सत्ता सँभाली थी, तब सरकारी ऋण 1.90 लाख करोड़ था, जो 2023–24 में बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ हो गया है। और यह भी तब जबकि किसी भी प्रकार का विकासशील पूंजीगत खर्चे का बंगाल के बजट में पिछले 13 वर्षों में कोई भी स्थान नहीं रहा है। चारों तरफ़ घोटालों व अराजकता से जनता परेशान हैं। राशन घोटाला, शिक्षा क्षेत्र में नौकरियों के नाम पर घोटाला, पशुओं के बांग्लादेश तस्करी का घोटाला, कोयला घोटाला तथा मंत्री पद पर रहते हुए इन आपराधिक मामलों में क़ैद मंत्रियों के खुलेआम प्रमाणों के बावजूद यहाँ की महिला मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा ग़रीबों के हित में चालू की गई रियायतों को जिसमें आयुष्मान भारत तथा अन्य सुविधायें शामिल हैं, उनसे वंचित रखा है। महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना में आवंटित पैसे का दुरुपयोग किया है। इन सब दुर्नीतियों का नतीजा सामने है, क़ानून व्यवस्था चरमरा गई है, लगातार बंगाल विनियोग सम्मिट् के दुराग्रह करते रहने पर भी बंगाल में विनियोग नहीं आ रहा है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, छोटे–छोटे व्यापारियों को पार्टी के लोगों द्वारा तोलाबाज़ी द्वारा परेशान किया जा रहा है।

एक तरफ़ केंद्र में विकासोन्मुख मोदी सरकार है और दूसरी तरफ़ बंगाल में एक दिशाहीन और हर विकाश के कार्यों में बाधा पहुँचाने वाली तृणमूल सरकार है। 2011–2021 के दस सालों के अराजकता और हिंसा के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सरंचना को धूल धूरसित करने वाली तृणमूल सरकार से निजात पाने के लिये यहाँ की जनता और बुद्धिजीवी वर्ग ने 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की राजनीति में कुछ उत्साह डालने की कोशिश की है। उन्हें अब यह विश्वास होने लगा है कि बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा तृणमूल किसी ने भी कोई आशाजनक विकासोन्मुख काम नहीं किया है। बंगाल का गौरवमयी इतिहास यहाँ की जनता से यह अपील करता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे सही निर्णय लेकर यहाँ के भ्रष्ट एवं निकृष्ट शासन को सही सबक़ सिखायें एवं 2026 के राज्य के चुनाव में पूर्ण रूप से इन्हें निर्मूल करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार चुनकर बंगाल को एक खुशहाल और वैभवशाली विकसित राज्य बनायें ताकि यहाँ की माताओं और बहनों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा हो सके।

भाजपा की सरकार जिन–जिन राज्यों में काम कर रही है, वहां डबल इंजन की ऊर्जा काम कर रही है और विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। यहां तक कि असम, त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी विकास कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहां कर्म संस्थानों की स्थापना के लिए देशी तथा विदेशी विनियोजन के अनुकूल परिवेश बना हुआ है तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कुल मिलाकर वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आशा है कि बंगाल में भी वहां की वंचित, शोषित तथा पीड़ित जनता को भी आर्थिक बदहाली से रिहाई जल्दी ही मिलेगी, परंतु इसके लिए राजनैतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ❑❑

विश्व प्रसन्नता सूचकांक

सावन के अंधों को सूझत है हरो-हरो

विकसित पश्चिमी देशों को विकासशील देशों की प्रगति फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वे अन्य देशों खासकर भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। चाहे पर्यावरण का मामला हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो, गरीबी और भूख से संबंधित पड़ताल हो, जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, उसे लेकर षडयंत्रपूर्वक अपने मनमानी तरीकों के अध्ययनों का आधार बनाकर विकासशील देशों को फिसड्डी और गया गुजरा साबित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। जिस तरह सावन के अंधों को हर चीज हरी हरी ही दिखाई देती है ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी देशों के संगठनों को केवल उनके अपने मानक, केवल उनके अपने पैमाने पर मापी गई उनकी खुद की प्रगति ही उन्हें दिखाई देती है। विभिन्न तरह के अध्ययनों के बहाने दूसरे को कमतर और खुद को बेहतर बताते हुए अपनी चीजें थोपने का प्रयास तो करते ही हैं कई बार वे अपने तरीके से दुनिया के अन्य मुल्कों को हांकने की कोशिशों भी से बाज नहीं आते।

ताजा मामला विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का है। इन दिनों दुनिया के मुल्कों में इस सूचकांक को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसे तैयार करने वाले संगठन ने अपनी परंपरा के अनुसार भारत को पिछड़ा दिखाया है। हैप्पीनेस इंडेक्स की 143 देशों की सूची में भारत को 126वें स्थान पर रखा है। सूची के हिसाब से भारत की स्थिति निराशजनक नजर आ सकती है, लेकिन यह भी याद रहे कि प्रसन्नता एक सापेक्षिक भाव है। आखिरकार, तानाशाही शासन वाला चीन भी प्रसन्नता के मामले में 64वें स्थान पर मौजूद है। रैंकिंग की कायदे से पड़ताल करने से इसकी पोल खुद ही खुल जाती है। जैसे कि युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे रूस और यूक्रेन प्रसन्नता के पैमाने पर भारत से ऊपर आंके गए हैं। यहां तक कि इराक और फलस्तीन जैसे देश भी तमाम दुश्वारियों के बावजूद भारत से ऊपर हैं। और तो और तमाम आम जरूरतों की पूर्ति में भारी किल्लत का सामना

वैश्विक एजेंसियां और थिंक टैंक अक्सर भारत–विरोधी नैरेटिव चलाते हैं। आलोचक भारत की नकारात्मक तस्वीर चित्रित करते हैं, जिसमें भारत के प्रति उनका पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष दिखता है।

–अनिल तिवारी

कर रहे पाकिस्तान को भी भारत से अधिक खुशहाल बताया गया है। ऐसे में यह सूची बड़ी विचित्र प्रतीत होती है तथा साजिश का पुलिंदा लगती है।

प्रसन्नता को मापना असंभव सा काम है। प्रसन्नता के निर्धारक व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक स्तर पर अलग–अलग हो सकते हैं। कुछ दार्शनिकों की दृष्टि में प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति में निहित है तो कुछ जीवन को सार्थकता प्रदान करने में प्रसन्नता खोजते हैं। जब हम विभिन्न देशों में खुशी को मापने का प्रयास करते हैं तो यह कवायद और जटिल हो जाती है। सांस्कृतिक विविधताएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं। दुनिया के किसी हिस्से में किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज से खुशी मिलती है तो संभव है कि विश्व के किसी दूसरे कोने में किसी व्यक्ति को उससे प्रसन्नता न मिले। पश्चिम में जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों को खासा सराहा जाता है, वहीं पूरब के देशों में पारिवारिक एवं सामुदायिक जुड़ाव को खासी महत्ता दी जाती है। भिन्न–भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों में यह सांस्कृतिक पहलू समूचे विश्व में प्रसन्नता के किसी एक मानक की स्थापना को और मुश्किल बना देता है। भारत में व्यापक सामाजिक– आर्थिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं को देखते हुए इस प्रकार का सर्वेक्षण अपने उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर पाता। यह तो वही बात हुई कि समंदर की थाह महज कुछ बूंदों से लेने की कोशिश की जाए। भारत में खुशियां और उनके पीछे के पहलुओं में इतनी बारीकियां जुड़ी हैं, जिन्हें महज कुछ नमूनों से नहीं मापा जा सकता। इसके अतिरिक्त, बेहतरी की विस्तारित एवं आत्मपरक प्रकृति, वैयक्तिक मिजाज, सामाजिक प्रतिमान और सांस्कृतिक संबंध प्रसन्नता को शुद्ध रूप से मापने का मामला और पेचीदा बना देते हैं। ऐसे सर्वेक्षण तैयार करते समय अक्सर सांस्कृतिक संवेदनशीलता के पैमाने को अनदेखा कर दिया जाता है।

भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में प्रसन्नता और जीवन से संतुष्टि संबंधी प्रश्न सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी प्रभावित हो सकते हैं। इन बारीकियों के बिना जुटाया गया कोई भी आंकड़ा भारतीयों को लेकर सही तस्वीर नहीं पेश कर सकता। हैप्पीनेस इंडेक्स और ऐसे अन्य सूचकांक कुछ और मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन यह न विस्मृत किया जाए कि वैश्विक एजेंसियां और थिंक टैंक अक्सर भारत–विरोधी नैरेटिव चलाते हैं। आलोचक भारत की नकारात्मक तस्वीर चित्रित करते हैं, जिसमें भारत के प्रति पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसी धारणा विभिन्न कारकों की जटिल अभिक्रिया के उपरांत आकार लेती है, जिसके भारत की वैश्विक छवि और नीति–निर्माण के लिहाज से गहरे निहितार्थ होते हैं। इस प्रकार की विसंगतियों के पीछे एक कारण डाटा उपलब्धता और विश्वसनीयता का भी है। कई मामलों में भारत के सांख्यिकी विभागों से समय पर डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता तो इस कारण अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अन्य स्रोतों का रुख करना – पड़ता है। इससे विसंगति की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही आशंका बलवती हो जाती है कि प्राप्त आंकड़ों की अपने विमर्श के अनुरूप व्याख्या की जा सके। उन्हें तोड़ा–मरोड़ा जा सके। इसका सीधा, सरल और सटीक समाधान यही है कि डाटा नियमित अंतराल पर जारी किए जाएं और इसकी समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। सटीक आंकड़ों की सहज उपलब्धता से भारत अपनी नीतियों एवं प्रदर्शन के बेहतर मूल्यांकन की स्थिति निर्मित कर सकता है।

एक उल्लेखनीय पहलू वैश्विक सूचकांकों पर अति निर्भरता का भी है, जिसमें अक्सर विकसित देशों के नजरिये की ही अधिक छाप होती है। इससे एक जटिल दृष्टिकोण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें भारत जैसे देशों की उपलब्धियों के प्रति न तो वैसी समझ होती है और न ही उनकी सराहना। चूंकि विकासशील देशों के स्तर पर ऐसे किसी वैकल्पिक सूचकांक का अभाव है तो इस मोर्चे पर असंतुलन की खाई इसी प्रकार बनी हुई है। ऐसे में, विकसित देशों के नैरेटिव की काट के लिए जरूरी है कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने सूचकांक और रेटिंग प्रणाली विकसित करें। उसमें स्थानीय वास्तविकताएं और प्राथमिकताएं झलकनी चाहिए, जो प्रभावी वैश्विक विमर्श का मुकाबला कर सकें।

जहां तक खुशी की बात है तो इसके संदर्भ में हिंदी कवि हरिवंशराय बच्चन ने यथार्थ ही कहा है, 'मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा।' स्पष्ट है कि प्रसन्नता एक बहुत ही सापेक्षिक मुद्दा है। प्रसन्नता को लेकर पश्चिम और भारत के दृष्टिकोण भी अलग हैं, – जिसमें भौतिकता और सांस्कृतिक पक्ष – जैसे पहलुओं का अंतर है। चूंकि वैश्विक – सूचकांक मुख्य रूप से व्यक्तिगत बेहतरी – और आर्थिक पहलुओं का संज्ञान लेते हैं, इसलिए वे भारतीय प्रसन्नता को निर्धारित करने वाले सामुदायिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों पर गौर नहीं कर पाते, जिनमें खासी गहराई होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि भारत प्रसन्नता को मापने के लिए समग्रता से परिपूर्ण अपना एक ढांचा विकसित करे, जिसमें विविधतापूर्ण दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश हो। ऐसा करके भारत वैश्विक विमर्श में व्यापक रूप से समृद्ध विमर्श प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेगा, जिसमें उसके समाज के अनूठे तानेबाने के साथ ही उसकी ज्ञानवान एवं दार्शनिक विरासत की छाप नजर आए। ❑❑

चीन किस उद्देश्य से बदलता है दूसरों के क्षेत्रों के नाम?

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों के नाम चीन द्वारा बदले जाने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया से जिनपिंग प्रशासन को अवगत कर दिया है। मोदी सरकार ने चीन की इस हरकत को संवेदनहीन करार दिया है और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन पर कटाक्ष करते हुए पत्रकारों से कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे घर का नाम बदल दूं, तो क्या वह मेरा घर हो जाएगा?

उल्लेखनीय है कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता आ रहा है। उसे वह दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। जिसे भारत बार–बार खारिज करता रहा है। लेकिन चीन मानता कहां है। एक साल पहले भी जिनपिंग प्रशासन ने अरुणाचल के 11 स्थानों को चीनी नाम देकर तनाव बढ़ा दिया था। दिसंबर 2022 में विवादित सीमा पर मामूली झड़पें भी हुईं थीं। उससे पहले 2020 में पश्चिमी हिमालय के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। अब चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों के नए नामकरण कर दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बीजिंग के मनगढ़ंत नाम बताने से अरुणाचल की वास्तविकता नहीं बदलेगी। यह प्रदेश भारत का है और हमेशा रहेगा।

उकसावे वाली हरकत

चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, भारतीय–नियंत्रित राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नामों को मानकीकृत करने के लिए चीनी अक्षरों का उपयोग किया गया है। बीजिंग में चाइना तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक चीनी विशेषज्ञ लियान जियांगमिन ने इसे चीन की राष्ट्रीय पॉलिसी बताया है।

चीन पिछले महीने से ऐसी उकसावे वाली कारवाई लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेला सुरंग का उद्घाटन करने अरुणाचल गए थे तब भी चीन ने कहा था

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन सोची समझी चाल के तहत ऐसा कर रहा है। वह अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और किसी भी बड़ी असहमति को अदालत में ले जाने की स्थिति में अपने दावों के समर्थन में सबूत बनाने के लिए विवादित स्थानों का नाम बदल रहा है।

–विक्रम उपाध्याय

कि वह क्षेत्र में पीएम मोदी की इन गतिविधियों का विरोध करता है। उस पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता है और सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण द्वारा इस पर दावा करने के किसी भी एकतरफा प्रयास का वह कड़ा विरोध करता है। सवाल उठता है कि चीन बार बार क्यों अरुणाचल के स्थानों का नाम बदल रहा है।

चीन का उद्देश्य क्या है

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन यह सोची समझी चाल के तहत ऐसा कर रहा है। वह अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और किसी भी बड़ी असहमति को अदालत में ले जाने की स्थिति में अपने दावों के समर्थन में सबूत बनाने के लिए विवादित स्थानों का नाम बदल रहा है। केवल अरुणाचल में ही नहीं बीजिंग दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए नए नामों और अन्य मानचित्र कोडिंग का उपयोग करता है।

विश्लेषकों के अनुसार चीनी नेताओं ने एशिया भर के विवादों में अपने विरोधियों पर दबाव बनाए रखने के लिए और अपने नागरिकों को उनके दावों की याद दिलाने के लिए विवादित स्थानों का नाम बदलने की परंपरा बना ली है। खासकर किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या विश्व मध्यस्थता अदालत की सुनवाई के हिसाब से वह ऐसा कर रहे हैं।

यह चीनी दृष्टिकोण एक कथात्मक युद्ध का हिस्सा बन गया है। यह एक संघर्ष की कहानी को आकार देने का भी प्रयास हो सकता है। चीन अपने प्रतिद्वंद्वी या दावेदार को ऐसी स्थिति में डालना चाहता है, जहां उसे कुछ ना कुछ लाभ मिले।

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने विवादित दावों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य निर्माण और आर्थिक संबंधों का भी उपयोग करता है। पिछले एक दशक में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और भारत के साथ इसी तरह की रणनीति पर चीन काम कर रहा है।

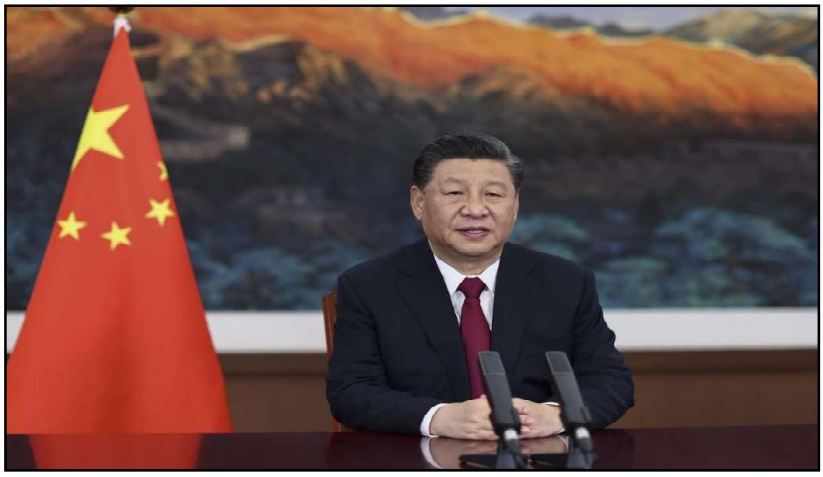

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने विवादित दावों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य निर्माण और आर्थिक संबंधों का भी उपयोग करता है। पिछले एक दशक में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और भारत के साथ इसी तरह की रणनीति पर चीन काम कर रहा है।

जानकारों का कहना है कि चीनी मानचित्र निर्माता ऐसे नाम चुनते हैं जो उस क्षेत्र में चीन की ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप हों, जिसे वह लक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, बीजिंग ने दावा किया था कि उसकी मछली पकड़ने वाली नावें लगभग 2000 साल पहले दक्षिण चीन सागर में चलती थीं, और इस प्रकार उस इतिहास को प्रतिबिंबित करने के लिए उसने समुद्र के छोटे द्वीपों का अलग चीनी नाम रखना शुरू कर दिया था।

2016 में मनीला ने दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे के खिलाफ विश्व अदालत में मुकदमा जीत लिया और अब दक्षिण चीन सागर को पश्चिम फिलीपीन सागर कहा जाने लगा है। इसके पहले चीन अपनी समुद्री पहुंच का विस्तार करने के लिए 2010 से लगातार क्षेत्रीय विवादों को हवा देकर अपनी बढ़त हासिल करने में लगा था।

चीन ने स्व–शासित ताइवान पर अपना दावा मजबूत दिखाने के लिए लंबे समय से समान मानचित्र रंगों का उपयोग कर रहा है। जिनपिंग की सरकार ताइवान को चीन के समान रंग देने की कोशिश करती है। उसका यह दिखाने का तरीका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। बीजिंग ने 1950 के दशक के मध्य के बाद निर्जन, जापानी–अधिकृत सेनकाकू द्वीपों का नाम बदलकर डियाओयू कर दिया।

बीजिंग टोक्यो और ताइपे के साथ द्वीपों पर विवाद करता है। चीनी जनता और विदेश में उसके समर्थक नए नामांकित स्थलों के बारे में प्राथमिक जानकारी हासिल कर दुनिया में प्रचार करते हैं। यही नहीं नए नाम और अन्य मानचित्र कोडिंग अंततः चीनी पासपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में भी शामिल कर देते हैं। ❑❑

वर्ष प्रतिपदा हिंदू कालगणना वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर

भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार नए वर्ष का प्रारम्भ वर्षप्रतिपदा के दिन होता है। वर्षप्रतिपदा की तिथि निर्धारित करने के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मपुराण पर आधारित ग्रन्थ 'कथा कल्पतरु' में कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और उसी दिन से सृष्टि संवत की गणना आरम्भ हुई। समस्त पापों को नष्ट करने वाली महाशांति उसी दिन सूर्योदय के साथ आती है।

वर्ष प्रतिपदा का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पूजा 'ऊँ' का सामूहिक उच्चारण, नए पुष्पों, फलों, मिष्ठानों से युग पूजा और सृष्टि की पूजा करनी चाहिए। सूर्य दर्शन, सुर्यार्ध्य प्रणाम, जय–जयकार, देव आराधना आदि करना चाहिए। परस्पर मित्रों, सम्बन्धियों, सज्जनों का सम्मान, उपहार, गीत, वाध्य, नृत्य से सामूहिक आनंदोत्सव मनाना चाहिए तथा परस्पर साथ मिल बैठकर समस्त आपसी भेदों को समाप्त करना चाहिए। चूंकि यह ब्रह्मा द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ तिथि है अत इसको प्रथम पद मिला है, इसलिए इसे प्रतिपदा कहते हैं। हमारा यह शास्त्रीय विधान पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। जागरण के इस काल में हमें काल पुरुष जगा रहा है, ऐसी सनातन संस्कृति में मान्यता है। आइये, हम भी हिंदुत्व के उगते सूरज के सम्मान और अभ्यर्थना में उठ खड़े हों।

वैदिक शुभकामना

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिरदधातु।।

अर्थात, महान यशस्वी इंद्र एश्वर्य प्रदान करें, पूषा नामक सूर्य तेजस्विता प्रदान करें। ताक्षर्य नामक सूर्य रसायन तथा बुद्धि द्वारा रोग–शोक का निवारण करें तथा बृहस्पति नामक गृह सभी प्रकार के मंगल तथा कल्याण प्रदान करते हुए उत्तम सुख समृधि से ओतप्रोत करें। उक्त मन्त्र में खगोल स्थित क्रान्तिव्रत के समान चार भाग के परिधि पर समान दूरी वाले चार बिन्दुओं पर पड़ने वाले नक्षत्रों क्रमशः इंद्र, पूषा ताक्षर्य एवं बृहस्पति अर्थात चित्रा, रेवती, श्रवण व पुष्य नक्षत्रों द्वारा क्रान्ति व्रत पर 180 अंश का कोण बनता है। यह वैदिक पुरुष द्वारा की गई जन कल्याण की कामना है।

वर्ष प्रतिपदा से नौ दिवसीय शक्ति पर्व प्रारम्भ होता है तथा सनातनी हिंदू इसी दिन से शक्ति की भक्ति में लीन हो जाते हैं।

–प्रहलाद सबनानी

वर्ष प्रतिपदा से नौ दिवसीय शक्ति पर्व प्रारम्भ होता है तथा सनातनी हिंदू इसी दिन से शक्ति की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सतयुग के खंडकाल में भारतीय (हिन्दू) नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रारंभ हुआ था क्योंकि इसी दिन ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया गया था। आगे चलकर त्रेतायुग में वर्षप्रतिपदा के दिन ही प्रभु श्रीराम का लंका

विजय के बाद राज्याभिषेक हुआ था। भगवान श्रीराम ने वानरों का विशाल सशक्त संगठन बनाकर असुरी शक्तियों (आतंक) का विनाश किया था। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और रामराज्य की स्थापना हुई थी। अगले खंडकाल अर्थात द्वापर युग में युधिष्ठिर संवत का प्रारम्भ भी वर्षप्रतिपदा के दिन हुआ था। महाभारत के धर्मयुद्ध में धर्म की विजय हुई और राजसूय यज्ञ के साथ युधिष्ठिर संवत प्रारम्भ हुआ। आगे कलयुग के खंडकाल में विक्रम संवत प्रारम्भ हुआ। सम्राट विक्रमादित्य की नवरत्न सभा की चर्चा आज भी चहुंओर होती है। यह भारत के परम वैभवशाली इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस नवरत्न सभा में निम्नलिखित रत्न शामिल थे – (1) धन्वन्तरि–आर्युवेदाचार्य; (2) वररुचि–व्याकरणचार्य; (3) कालीदास–महाकवि; (4) राहमिहिर–अंतरिक्षविज्ञानी; (5) शंकु–शिक्षा शास्त्री; (6) अमरसिंह–साहित्यकार; (7) क्षणपक–न्यायविद दर्शनशास्त्री; (8) घटकर्पर–कवि; (9) वेतालभट्ट–नीतिकार।

भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित कालगणना को विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति माना जाता है। दरअसल भारत में कालचक्र प्रवर्तक भगवान शिव को काल की सबसे बड़ी इकाई के अधिष्ठाता होने के चलते ही उन्हें महाकाल कहा गया। वहीं कलयुग में विक्रमादित्य द्वारा नए संवत का प्रारम्भ परकीय विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराने के महाअभियान की सफलता का प्रतीक माना गया है।

इधर स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. मेघनाद साहा की अध्यक्षता में एक 'कलैंडर रिफार्म कमेटी' का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में 'साइंस एंड कल्चर' पत्रिका में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार, लगभग पूरे विश्व में लागू ईसवी सन का मौलिक सम्बंध ईसाई पंथ से नहीं है और यह यूरोप के अर्धसभ्य कबीलों में ईसामसीह के बहुत पहले से ही चल रहा था। इसके अनुसार एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन ही होते थे। वर्ष के कैलेंडर में जनवरी एवं फरवरी माह तो बाद में जोड़े गए हैं। पुरानी रोमन सभ्यता को भी तब तक ज्ञात नहीं था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या थी। यही दस महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं कर लिया। ईसा के 530 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, ईसाई बिशप ने पर्याप्त कल्पनाएं कर 25 दिसम्बर को ईसा का जन्म दिवस घोषित किया। वर्ष 1572 में तेरहवें पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर को दस दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टोबर (शुक्रवार) को 15 अक्टोबर माना, जिसे ब्रिटेन द्वारा 200 वर्ष उपरांत अर्थात वर्ष 1775 में स्वीकार किया गया। साथ ही, यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30, 31 दिनों के महीने होते हैं, जो विचित्र है क्योंकि यह न तो किसी खगोलीय गणना पर आधारित हैं और न ही किसी प्रकृति चक्र पर।

उक्त वर्णित कारणों के चलते कैलेंडर रिफोर्म कमेटी ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाने की सिफ़ारिश की थी। विक्रम संवत, ईसा संवत से 57 साल पुराना था। परंतु, दुर्भाग्य से भारत में अंग्रेज़ी मानसिकता से ग्रसित लोगों के यह सुझाव पसंद नहीं आया और देश में यूरोप के कैलेंडर को लागू कर दिया गया। हालांकि, विदेशी सिद्धांतो पर आधारित गणनाओं में कई विसंगतियाँ पाई गई हैं।

चिल्ड्रन्स ब्रिटानिका के प्रथम खंड (1964) में कैलेंडर का इतिहास बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अंग्रेजी कैलेंडरों में अनेक बार गड़बड़ हुई हैं एवं इसमें समय समय पर कई संशोधन करने पड़े हैं। इनमें माह की गणना चंद्र की गति से और वर्ष की गणना सूर्य की गति पर आधारित है। आज भी इसमें कोई आपसी तालमेल नहीं है। ईसाई मत में ईसा मसीह का जन्म इतिहास की निर्णायक घटना मानी गई है। अतः कालक्रम को बी.सी. (बिफोर क्राइस्ट) और ए.डी. (अन्नो डोमिनी) में बांटा गया। किंतु, यह पद्धति ईसा के जन्म के बाद भी कुछ सदियों तक प्रचलन में नहीं आई थी। इसके साथ ही, आज के ईस्वी सन का मूल रोमन संवत है। यह ईसा के जन्म के 753 वर्ष पूर्व रोम नगर की स्थापना से प्रारम्भ हुआ। तब इसमें 10 माह थे (प्रथम माह मार्च से अंतिम माह दिसम्बर तक) वर्ष होता था 304 दिन का। बाद में राजा नूमा पिंपोलियस ने दो माह (जनवरी एवं फरवरी) जोड़ दिए। तब से वर्ष 12 माह अर्थात 355 दिन का हो गया। यह ग्रहों की गति से मेल नहीं खाता था, तब जूलियस सीजर ने इसे 365 और 1/4 दिन का करने का आदेश दे दिया। इसमें कुछ माह 30 दिन व कुछ माह 31 दिन के बनाए गए और फरवरी के लिए 28 दिन अथवा 29 दिन बनाए गए। इस प्रकार पश्चिमी कैलेंडर में गणनाएं प्रारम्भ से ही अवैज्ञानिक, असंगत, असंतुलित विवादित एवं काल्पनिक रहीं। इसके विपरीत सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित काल गणना पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध पाई गईं हैं।

इस दृष्टि से वर्ष प्रतिपदा का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है और भारत में आज हिंदू सनातनियों द्वारा वर्ष प्रतिपदा के दिन ही नए वर्ष का प्रारंभ माना जाता है एवं वर्ष भर की कालगणना भी हिंदू सनातन संस्कृति के आधार पर की जाती है, जिसे अति शुभ माना गया है। ❑❑

लेखक– सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

मूल्य अंतर राहत के बजाय मिले गारंटीशुदा कीमत

सबसे पहले, अच्छी खबर। राजनीति को एक तरफ रखते हुए, छत्तीसगढ़ के किसानों के पास खुश होने के लिए पर्याप्त कारण हैं। गत 12 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 24.72 लाख धान किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि धान किसानों को कमीपूरक भुगतान के रूप में देय थी। पिछले चुनावों से पहले किए गए वादे के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा ने खरीफ 2023–24 सीजन के लिए कॉमन ग्रेड धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 2,203 रुपये के खरीद मूल्य पर प्रत्येक किसान से 21 क्विंटल धान खरीदा था।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद मूल्य के वादे और केंद्र द्वारा एमएसपी मूल्य पर खरीद के वादे के बीच 917 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर अब किसानों के खाते में डाल दिया गया है। यानी प्रतिवर्ष औसत किसान की आय में 1 लाख रुपये की वृद्धि होगी। इस साल लगभग 147 लाख टन की रिकॉर्ड खरीद के साथ, किसान निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हैं। हालिया स्थितिजन्य आकलन सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ में एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 9, 677 रुपये है। इसलिए प्रतिवर्ष करीब 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आय किसान परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है।

यूरोपीय किसानों द्वारा हाल ही में व्यक्त क्षोभ, जिसमें बीते कुछ हफ्तों में 24 देशों के किसानों ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया, से स्पष्ट रूप से सामने आया कि जर्मनी में कृषि वाहनों के लिए डीजल सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों को किसी भी स्तर पर राजकोषीय कठिनाइयों या पर्यावरणीय कारकों का हवाला देते हुए वापस लिया जा सकता है। इसलिए एक गारंटीशुदा कीमत की ही जरूरत है।

– देविन्दर शर्मा

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा गत 14 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न किसान महापंचायत ने सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को जारी रखने का संकल्प लिया है। स्वामीनाथन के सी2+50 प्रतिशत फार्मूले के अनुसार एमएसपी की गणना की मांग के मुकाबले, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य का भुगतान किया है, जो असल में डॉ. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गयी सिफारिश से भी अधिक है। दूसरी ओर, किसान यूनियनें कहती रही हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा तय किए गए एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल पर देशभर में धान की खरीद 2+50 प्रतिशत फार्मूले के जरिये की जाती है। ए2 जेब खर्च है जो किसानों द्वारा फसल उत्पादन में खर्च होता है और एफएल का मतलब पारिवारिक श्रम की आंकी गयी लागत के रूप में है।

लेकिन अगर एमएसपी को स्वामीनाथन के सी2+50 प्रतिशत के फार्मूले (सी2 का मतलब व्यापक लागत) के अनुसार तैयार किया जाता है, तो खरीफ 2023–24 सीजन के लिए धान की कीमत 2,886.50 रुपये प्रति क्विंटल बन जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वास्तव में इस विपणन सीज़न में धान किसानों को जो भुगतान किया है, वह सी2+50 प्रतिशत की सिफारिश के बराबर नहीं है, बल्कि वास्तव में सी2+60 प्रतिशत से अधिक बनता है। यह बढ़ी हुई कीमत राज्य चुनावों से पहले एक रस्साकशी का नतीजा है। इस होड़ में आगे रहने की कोशिश में, कांग्रेस ने 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया था, प्रत्येक किसान से 20 क्विंटल खरीद के साथ, जबकि भाजपा ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन प्रत्येक एकड़ से खरीदे गए 21 क्विंटल के लिए कीमत सुनिश्चित की थी। यहां पिछली कांग्रेस सरकार के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हमें

यह नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के बाकी भागों, केरल को छोड़कर, के मुकाबले धान की काफी अधिक कीमत चुका रहा था। साल 2022–23 खरीफ सीज़न के लिए, भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को खरीद मूल्य के अतिरिक्त 9000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया था।

आगामी महीनों में, छत्तीसगढ़ में धान किसानों को दिये जाने वाले ऊंचे रेट अन्य जगहों पर धान किसानों के एकजुट होने के लिए एक मुद्दा बन जाएंगे। यह देखते हुए कि हर साल 23 फसलों के लिए घोषित एमएसपी पूरे देश में एक समान है, मांग यह होगी कि छत्तीसगढ़ मॉडल के सी2+60 प्रतिशत के आधार पर धान की कीमत में एकरूपता लाई जाए। रोचक यह है कि धान के लिए प्रदान किये जा रहे एमएसपी और सी2+50 लागत, जिसकी मांग किसान यूनियनें कर रही हैं, के बीच अंतर प्रति क्विंटल 683.5 रुपये बनता है। किसान यूनियनें कहती हैं कि औसत उपज 25 क्विंटल प्रति एकड़ मानते हुए, अगर धान स्वामीनाथन के मूल्य निर्धारण फार्मूले पर खरीदा जाता है तो इसका मतलब होगा किसानों के लिए अतिरिक्त 17,075 रुपये प्रति एकड़, खासकर पंजाब जैसे राज्य में, जहां मंडियों में पूरी फसल की आवक होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में धान के रेट (सी2+60) के हिसाब से देखें तो मौजूदा एमएसपी के साथ अंतर जिस पर केंद्र सरकार द्वारा खरीद की गयी है, वह तुलनात्मक रूप से 917 रुपये प्रति क्विंटल है।

छत्तीसगढ़ की कीमतों का मतलब है धान के रेट में तुलनात्मक तौर पर सी2+50 लागत से प्रति क्विंटल 234 रुपये अधिक की बढ़ोतरी। बहरहाल, धान की अधिक कीमत ने किसानों की आशाओं–आकांक्षाओं को जगा दिया है। किसान कह रहे हैं कि अब वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक

खर्च करने में सक्षम होंगे, बाजार भी उत्साह से भरे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में विभेदकारी मूल्य तंत्र के जरिये किसानों को किया जा रहा अधिक भुगतान मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों के लिए राहतकारी है, जो लगातार स्वामीनाथन फार्मूले के मुताबिक एमएसपी बढ़ाने पर बाजार विकृति वाला तर्क देते रहे हैं, और अब छत्तीसगढ़ मॉडल द्वारा कायम किये जा रहे नए बेंचमार्क के साथ तो और भी अधिक। वे नहीं चाहते कि एमएसपी बढ़ाया जाए क्योंकि यह उनके दावे के अनुसार बाजारों को विकृत कर देगा, लेकिन अगर राज्य सरकार को भावांतर कीमत के रूप में मूल्य अंतर का भुगतान करना पड़े तो वे खुश हैं। वास्तव में, अर्थशास्त्री नहीं चाहते कि कार्पोरेट और एग्रीबिजनेस कंपनियां कृषि पदार्थों के लिए अधिक कीमत अदा करें।

मेरे विचार में, यह अनुचित है और इसे पॉलिसी के तौर पर लागू नहीं करना चाहिये। यूरोपीय किसानों द्वारा हाल ही में व्यक्त क्षोभ, जिसमें बीते कुछ हफ्तों में 24 देशों के किसानों ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया, से स्पष्ट रूप से सामने आया कि जर्मनी में कृषि वाहनों के लिए डीजल सब्सिडी जैसे इन प्रोत्साहनों को किसी भी स्तर पर राजकोषीय कठिनाइयों या पर्यावरणीय कारकों का हवाला देते हुए वापस लिया जा सकता है। इसलिए एक गारंटीशुदा कीमत की ही जरूरत है।

बाजार से फसल उपज की सही कीमत देनी चाहिए। इसे कृषि उपज के लिए कम भुगतान करके और कृषि आय में नुकसान को बजटीय मदद द्वारा कवर करने के लिए छोड़ देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पहले से ही दुनिया की 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में किसानों के लिए उत्पाद मदद के रूप में प्रति वर्ष 851 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर रही है ताकि कमी की भरपायी हो सके। यह अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ है जबकि कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां बड़े आराम से धन अर्जित कर रही हैं। ऑक्सफैम के अनुसार, दुनिया में बीते कुछ वर्षों में 68 नए खाद्य अरबपति बने हैं, जिन्हें फूड बैरन कहा जाता है। यह कहना कि उच्च एमएसपी के चलते मुद्रास्फीति अधिक हो जाएगी और बाजारों को विकृत कर देगी, और कुछ नहीं बल्कि जनता में डर पैदा करने का एक प्रयास है। महामारी वर्ष 2020 से शुरू हुए पिछले तीन वर्षों में, कॉर्पोरेट पर रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के भंवर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है। यहां तक कि आईएमएफ भी स्वीकार करता है कि मुद्रास्फीति में कॉर्पोरेट मुनाफे का हिस्सा, जिसे कॉर्पोरेट लालच के रूप में जाना जाता है, 40 प्रतिशत से अधिक है। कुछ लोग इसे ग्रीडफ्लेशन यानी लालच स्फीति कहते हैं। ❑❑

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/guaranteed-price-instead-of-price-difference-relief/

भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग

वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय तिमाही (अक्टोबर–दिसम्बर 2023) में भारत में आर्थिक विकास की दर 8.4 प्रतिशत रही है। कुछ विदेशी अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक विकास दर को कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि यह लगातार तिमाही दर तिमाही आगे बढ़ती ही जा रही है। अब तो विश्व की कई आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों ने भी वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के संबंध में अपने अनुमानों को बेहतर किया है, परंतु अभी भी इन संस्थानों के यह अनुमान वास्तविक आर्थिक विकास दर की तुलना में बहुत कम हैं। दरअसल, विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से भारत की आर्थिक विकास दर को आंके जाने के सम्बंध में उपयोग किए जा रहे मॉडल अब भोथरे साबित हो रहे हैं। हाल के समय में भारत के नागरिकों में "स्व" का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। उदाहरण के लिए अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। परंतु, यह तथ्य विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि केवल भारत की ही विशेषता है।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कई कारक भी भारत की आर्थिक विकास दर को अब 9 से 10 प्रतिशत की सीमा में ले जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत से आगे चल रही विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में ठहराव आ गया है। जैसे अमेरिका एवं यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में प्रतिवर्ष केवल 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से ही आगे बढ़ पाएंगी। इसी प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था भी अब ढलान पर दिखाई दे रही है। जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में तो आर्थिक मंदी देखी जा रही है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के अमृत काल में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही तेज गति आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत में अमृत काल तो अभी शुरू ही हुआ है एवं यह अगले 23 वर्षों अर्थात वर्ष 2047 तक यह खंडकाल जारी रहेगा। कुछ अर्थशास्त्री तो भारत के अमृत काल के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी तरह तेज गति से आगे बढ़ते रहने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत में वर्ष 1991–92 में प्रारम्भ किए आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यक्रम को अब 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हालांकि वर्ष 1991–92 के बाद भी भारत में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम लगातार जारी रहे हैं। अतः स्थिर हो चुके इन सुधार कार्यक्रमों के फल खाने का समय अब आ गया है।

भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं।
–स्वदेशी संवाद

भारत द्वारा वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पिछले 77 वर्षों के दौरान भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है एवं आज पूरे विश्व में भारत इस दृष्टि से प्रथम पायदान पर खड़ा है। भारत में लोकतंत्र के लगातार मजबूत होते जाने से विदेशी

निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा है।

भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं। विश्व में बिलिनियर की संख्या के मामले में भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में आज 271 बिलिनियर हैं जबकि चीन में 814 एवं अमेरिका में 800 बिलिनियर हैं। मुंबई महानगर में तो अब 92 बिलिनियर निवास कर रहे हैं, जो चीन के बीजिंग महानगर के 91 बिलिनियर से अधिक है। इस प्रकार अब एशिया के किसी भी महानगर में सबसे अधिक बिलिनियर भारत के मुंबई महानगर में निवास कर रहे हैं। वर्ष 2022–23 में चीन में बिलिनियर की संख्या घटी है। चीन में बिलिनियर की सम्पत्ति 15 प्रतिशत से कम हुई है। जबकि भारत में बिलिनियर की सम्पत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास दर के चलते सम्भव हो सका है।

एक और कारक जो आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है वह है भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर का होना है जो चीन में 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर के एवं दक्षिणी कोरिया में 32,000 से 33,000 अमेरिकी डॉलर के बीच की तुलना में बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत को अभी बहुत आगे तक जाना है और यह केवल आर्थिक विकास की औसत दर को 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आसपास बनाए रखने से ही सम्भव होगा। इस प्रकार भारतीय नागरिकों में अपनी औसत आय को विकसित देशों की तुलना में बेहतर करने की अभी बहुत गुंजाईश है और यह भावना भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने में सहायक होगी। दूसरे, भारत में तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की दर बहुत प्रभावकारी है, डिजिटल क्षेत्र में तो भारत आज पूरे विश्व को ही राह दिखाता नजर आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों, व्यवसाईयों, प्रबंधकों, कृषकों आदि की उत्पादकता में भी सुधार दृष्टिगोचर है जो निश्चित ही भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा।

आज अमेरिका एवं कनाडा में निवासरत एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय मूल के नागरिक वापिस भारत आकर बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर उन्हें आकर्षित कर रही है। उन्हें आज भारत में अधिक आय अर्जन के अतिरिक्त साधन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार, लगभग 38,000 भारतीय जो अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं वे अब भारत वापिस आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में कई कम्पनियां (गूगल, एमेजोन, माइक्रोसोफ्ट एवं मेटा सहित) अपने कर्मचारियों की छंटनी करती दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो स्पष्टतः आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर–दिसंबर 2023 की तिमाही में 8.4 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। कई विदेशी वित्तीय संस्थानों ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को आगे बढ़ा दिया है।

भारत के ग्रामीण इलाकों सहित, विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए अपने बजट में खर्च को लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे सामान्य नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा पहुंच रहा है तथा इससे नागरिकों के बीच विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी उपभोक्ता तो रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के साथ साथ चार पहिया वाहन एवं मकान आदि खरीदने पर भी भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। घरेलू खपत में बढ़ौतरी के साथ ही भारत से निर्यात में भी तेजी देखी जा रही है। फरवरी 2024 माह में निर्यात का स्तर पिछले 11 माह में सबसे अधिक रहा है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्यात के क्षेत्र में अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ देगा। मोर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत में निवेश : सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में एक बार फिर सुधार दिखाई दे रहा है। यह अनुपात आज 34 प्रतिशत तक पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है वित्तीय वर्ष 2027 तक यह बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। जिससे भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक बल मिलेगा।

भारत के लिए चिंता का क्षेत्र है, आय की असमानता का। भारत की 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की 77 प्रतिशत सम्पत्ति जमा हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक भारत की एक प्रतिशत आबादी की देश की कुल आय एवं सम्पत्ति में 22.6 प्रतिशत एवं 40.1 प्रतिशत की भागीदारी रही है। आय की असमानता को देश में आर्थिक विकास को गति देकर ही दूर किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी की कलम से)

विकसित भारत की संकल्पना

'विकसित भारत@2047' अभियान स्वतंत्रता की शताब्दी तक राष्ट्र को एक विकसित देश के रूप में तैयार करने के लिए के लिए चलाया जा रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उन्नति के साथ प्रभावी शासन जैसे विकास के विविधपक्षों को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और देश के अन्य नागरिकों को इससे जुड़ने और परिवर्तन में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है।

विकसित भारत@2047: वॉयस ऑफ यूथ को विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रारम्भ किया गया था, जो भारत की नियति में दृढ़ विश्वास, अटूट समर्पण और लोगों, विशेषकर युवाओं की विशाल क्षमताओं और प्रतिभा की गहन पहचान की अपेक्षा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को 'आइडियाज फ्रॉम यूथ फॉर विकसित भारत/2047' नामक युवा आंदोलन के माध्यम से परिवर्तनकारी एजेंडे में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने सभी से अपनी सीमाओं से परे जाकर विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण में अपने विचारों का योगदान करने का आग्रह किया। माय–गॉव (MyGov) के भीतर विकसित भारत@2047 अनुभाग प्रारंभ हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए विचारों का एक खंड है। ऑनलाइन माय–गांव पोर्टल पर 5 अलग–अलग विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं

विकसित भारत के चार स्तंभ हैं युवा, गरीब, महिला और किसान। हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है, जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। यह उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए अमृतकाल इस समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है, जब देश, एक ऊंची उड़ान लगाने जा रहा है। ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं, जिन्होंने एक तय समय में ऐसी ही ऊंची उड़ान लेकर खुद को विकसित बना लिया। विकसित भारत के निर्माण का ये अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है, जैसे हम परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता है। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल–पल एक ही ध्येय से जोड़ देता है। और जब परीक्षा की तिथियां निकट आ जाती हैं। तिथि घोषित हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि पूरे परिवार की परीक्षा की तिथि आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें चौबीसों घंटे, इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिये राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है जिससे कि बिना व्यवधान के भारत 2047 तक समृद्धि के शिखर तक पहुंच सके।

–विनोद जौहरी

विकसित भारत के विभिन्न पहलुओं पर नगर डालें तो संरचनात्मक रूपांतरण, श्रम बाज़ारों का निर्माण, प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना, वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधार, शासन में सुधारवादी दृष्टिकोण, हरित क्रांति के तहत अवसरों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति और ईज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार की बातें सहज की दिख जाती है। कारोबारी सुगमता

यानी ईज आफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने काफी बेहतर किया है। विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 2014 की 142वीं रैंकिंग से 2020 में 63वीं रैंकिंग पर पहुंच गया।

विकास के विभिन्न पक्ष

भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए छह महत्वपूर्ण कारक हैं –

1. डिजिटल प्रतिस्पर्धा – भारत में 90 करोड़ काम करने वाली जनसंख्या, विश्व में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें, 65 करोड़ स्मार्टफोन, टैक्नोलॉजी आधारित 150 बिलियन डॉलर के निर्यात (2022) और भारत में 1500 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिनमें फार्च्यून 500 की कंपनियां सम्मिलित हैं, भारत को विश्व में अग्रणी रखते हैं। भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में 41 अंक की बढ़त लेकर सात वर्षों में 40वां स्थान प्राप्त किया है। स्टार्ट अप इकोसिस्टम में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है।

2. परिवर्तनकारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश – एविएशन क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है और यह 17 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। विश्वस्तरीय परिवहन नेटवर्क के लिए रेलवे, पोर्ट, राजमार्ग निर्माण, लॉजिस्टिक्स के लिए सरकार द्वारा विशाल स्तर पर निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार का पोर्ट हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 10 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष का लक्ष्य प्राप्त करने का है।

3. औद्योगिक उत्पादन में अभूतपूर्व अवसर – वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र की 15 प्रतिशत की भागीदारी है जिसको उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, करों में राहत जैसे उपायों से उत्तरोत्तर बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2026 तक औद्योगिक निर्यात को 600 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय है। वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2047 में 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। भारत की 100 अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वैश्विक व्यापार में स्थापित हों, यह भी ध्येय है। चीन से विस्थापित हो रही आपूर्ति श्रंखला का लाभ भारत को होना चाहिए।

4. ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता– ऊर्जा के क्षेत्र में लक्षित वर्ष 2047 में भारत को पूर्णतया आत्मनिर्भर करने की योजना है जिससे आयात में होने वाले 100 बिलियन डॉलर के खर्च को बचाया जा सके। वर्ष 2030 तक भारत में नवीकरणीय और हाइड्रोजन से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 300 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। भारतीय रेल का 83 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है जो वर्ष 2024 में ही शत प्रतिशत हो जायेगा।

5. बड़े आर्थिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, व्यापार, कृषि, शिक्षा, भूमि, श्रम और स्वास्थ्य के सुधारों के लिए राजनीति स्थिरता की बहुत आवश्यकता है।

6. विश्व का फूड बास्केट – भारत अनाज, डेयरी, मसाले, फल, सब्जी, चाय, खाद्य तेल, मछली, चीनी, चावल के उत्पादन और निर्यात से विश्व की आवश्यकता का 17.8 प्रतिशत आपूर्ति करता है।

आने वाले समय में केंद्र सरकार को बहुत समय से लंबित भूमि सुधारों पर योजनाबद्ध होकर काम करना होगा जिसमें भूमि का रिकार्ड, कृषि, किरायेदारी, शहरी, ग्रामीण एवं वन भूमि के उपयोग, औद्योगीकरण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि संबंधित वादों का निपटान आदि सम्मिलित हैं। पिछली यूपीए सरकार में 2013 में पारित "राइट टू फेयर कंपेनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसैटिलमेंट एक्ट 2013" को संशोधित करने के लिए मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, एफोर्डेबिल भवन निर्माण, औद्योगिक कॉरिडोर, विनिर्माण के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होने के लिए प्रावधान किया जाना था। इसी प्रकार तीन किसानों बिल दृ "किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम" भी सरकार को वापस लेने पड़े। छोटे किसानों के हित मेंध केंद्र सरकार ने "मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016" पारित किया। इस दिशा में केंद्र सरकार को किसानों, विनिर्माण, औद्योगीकरण के हितों के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड यानी दिवालिया कानून में भी साहसी संशोधन की आवश्यकता है कि बैंक भी रिज़ोल्यूशन प्रक्रिया में ऋण को पूंजी में विस्थापित करके निवेश करें जिससे दिवालिया कंपनियों के केसों का शीघ्रता से और सकारात्मक रूप से निपटारा हो सके।

भारत को कम से कम तीन दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद में 9–10 प्रतिशत की वृद्धि दर जारी रखनी होगी, तभी भारत का सकल घरेलू उत्पाद 35 ट्रिलियन डॉलर हो सकेगा और प्रति व्यक्ति आय 24000 डॉलर होगी। तभी भारत की अर्थव्यवस्था शिखर पर होगी। भारत को विनिर्माण, टैक्नोलॉजी, त्वरित औद्योगिक प्रगति, पर्यावरणीय सुरक्षा, स्मार्ट शहरीकरण और कृषि के बलबूते आगे बढ़ना होगा। भारत केवल केंद्र सरकार के बलबूते नहीं बल्कि राज्यों के बढ़ने से ही देश आगे बढ़ेगा।

विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिये राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है जिससे कि बिना व्यवधान के भारत 2047 तक समृद्धि के शिखर तक पहुंच सके। ❑❑

जल-योद्धा के रूप में मोर्चा संभाले महिलाएं

वर्तमान समय जल का सदुपयोग और संरक्षण न होने से तथा इसके सही प्रबंधन और भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश के अभाव में जल संकट का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो निश्चित ही मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, के प्रभावों से जल अभाव की समस्या भी गंभीर रूप ले रही है। समय की जरूरत है कि जल का प्रबंधन उचित ढंग से किया जाए जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है क्योंकि आम तौर पर पूरे विश्व में दिनचर्या के घरेलू कार्यों जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई इत्यादि को महिलाओं द्वारा किया जाता है। पानी एकत्रित करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के कंधों पर होती है। अधिकांश विकसित और अविकसित देशों में जल की जरूरत पूरा करने के लिए महिलाएं प्राकृतिक स्रोतों पर आश्रित होती हैं। चूंकि जल संग्रहण करना महिलाओं का पारंपरिक काम है, इसलिए उन्हें जल प्रबंधन की गहरी समझ है। अच्छे से समझ है कि कितना पानी कहां पर खर्च करना है, और कितना कहां पर बचाना है। महिलाएं ही घर में बच्चों और पुरुषों को पानी बर्बाद करने से रोक सकती हैं, और उन्हें पानी की बचत करना भी सीखा सकती हैं।

जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका

विश्व बैंक ने पूरे विश्व की 122 जल परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया तो पाया कि जिन परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी थी, वे परियोजनाएं 6–7 गुना ज्यादा सफल रहीं, उन परियोजनाओं की तुलना में जिनमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था।
–वैदेही

जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका इसलिए और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महिलाओं के लिए जल संकट 'पर्सनल' है। जब भी जल संकट पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता है। उन्हें जल लाने के लिए मीलों लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसका कुप्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई बार जल की कमी होने पर परिवार के पुरुषों से उन्हें शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। संसार में महिलाएं ही वो समूह हैं, जिन्हें जल संरक्षण और प्रबंधन का सबसे लंबा अनुभव है परंतु इसके बावजूद बहुत छोटे स्तर पर इनके अनुभव का

प्रयोग किया जा रहा है। आवश्यक है कि उनको जल योद्धा के रूप में सामने आने दिया जाए और जल प्रबंधन में इनके अनुभव का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाए।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने जल प्रबंधन के लिए विशेष योगदान दिया है। केरल की आदिवासी महिला 'मायलम्मा' ने अपने गांव प्लाचीमाड़ा में अमेरिकी कंपनी कोका कोला को प्लांट बंद करने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि 2000 में केरल में पालक्कड़ जिले के प्लाचीमाड़ा गांव में कोका कोला ने अपना प्लांट लगाया। इसके दो वर्षों में ही गांव के सभी कुओं का पानी सुख गया। खारा और जहरीला हो गया। जो भी इन कुओं का पानी पीता बीमार हो जाता। प्लाचीमाड़ा गांव की महिलाएं लंबी दूरी तय करके पानी लाने को मजबूर हो गईं परंतु मायलम्मा ने जब आकलन किया कि इतने सालों से पानी की कभी कमी नहीं आई तो अब कैसे आई। उन्हें पता चला कि कोका–कोला के आने के बाद से कुओं का पानी सूखा है क्योंकि कोका–कोला का प्लांट हर दिन 10 लाख लीटर पानी खींच रहा था और लाखों लीटर गंदा जहरीला पानी जमीन में छोड़ रहा था। बस इसके बाद मायलम्मा ने गांव की महिलाओं को एकत्रित करके 'कोका कोला विरुद्ध समर समिति' का गठन करके सत्याग्रह शुरू कर दिया।

मायलम्मा के लंबे संघर्ष और सत्याग्रह का ही नतीजा था कि विश्व की इतनी बड़ी कंपनी को झुकना पड़ा। संयंत्र बंद करना पड़ा। मायलम्मा कोई पढ़ी– लिखी महिला नहीं थीं, न ही उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कोई डिग्री हासिल कर रखी थी, फिर भी वो यह संघर्ष और सत्याग्रह कर पाईं तो इसलिए कि सालोंसाल से प्रकृति और जीवन के संबंध को समझती थीं। उन्हें यह डर भी था कि दो वर्षों में कोका कोला ने ये

प्लाचीमाड़ा गांव में कोका-कोला के आने के बाद से कुओं का पानी सूख गया, क्योंकि कोका-कोला का प्लांट हर दिन 10 लाख लीटर पानी खींच रहा था और लाखों लीटर गंदा जहरीला पानी जमीन में छोड़ रहा था। बस इसके बाद मायलम्मा ने गांव की महिलाओं को एकत्रित करके 'कोका कोला विरुद्ध समर समिति' का गठन करके सत्याग्रह शुरू कर दिया।

हालात पैदा कर दिए हैं, तो आने वाले समय में संघर्ष करके जल का दोहन न रोका गया तो भावी पीढ़ियों का बुरा हश्र होगा।

बुंदेलखंड क्षेत्र, जो सूखा पीड़ित क्षेत्रों में शामिल है, में गंगा और बबीता ने महिलाओं की टोली बना कर, "जल सहेली अभियान" के अंतर्गत तालाबों को संरक्षित किया और इनके द्वारा बचाए और साफ किए गए तालाब आज कई गांवों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहे हैं।

नौलों–धाराओं का पुनरुज्जीवन

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चनोली गांव की निवासी माया वर्मा एक जल चैंपियन हैं, जिन्होंने अल्मोड़ा के 15 गांवों में पारंपरिक हिमालयी जल स्रोतों नौलों और धाराओं को पुनरुज्जीवित करने में मदद की है। अक्टूबर, 2017 से वर्मा और उनकी साथी गांव की महिलाओं के प्रयासों के कारण, पुनरुज्जीवित नौलों में अब पूरे वर्ष पानी रहता है। पहले ये गर्मियों में सूख जाते थे जबकि नौले मध्य–हिमालयी ऊंचाई में पाए जाते हैं, धारे ज्यादातर ऊपरी हिमालय में, बर्फ रेखा के ठीक नीचे पाए जाते हैं। 1992 में रियो में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि जल प्रबंधन के सभी चरणों में महिलाओं की सहभागिता से लाभ मिलता है, इसलिए जल प्रबंधन के कार्यक्रमों और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस संकट को बड़ा होने से पहले ही दूर कर लिया जाए।

ये उदाहरण दिखाते हैं कि जल प्रबंधन में महिला और पुरुषों की समान भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में तुरंत प्रभाव से शामिल किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन में लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बिना जल से संबंधित परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन संभव नहीं है। हाल–फिलहाल में विश्व बैंक ने पूरे विश्व की 122 जल परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया तो पाया कि जिन परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी थी, वे परियोजनाएं 6–7 गुना ज्यादा सफल रहीं, उन परियोजनाओं की तुलना जिनमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत में भी जल प्रबंधन के क्षेत्र में चल रहे 'जल जीवन मिशन', 'अटल भूजल योजना', 'जल शक्ति अभियान' आदि के निर्णय निर्माण में महिलाओं को बड़ी संख्या में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनके अनुभव से लाभ लेते हुए इन अभियानों को प्रभावी रूप से सफल बनाया जा सके। ❑❑

पानी के अभाव की पथरीली परतें

वर्तमान समय में मानव समाज भूजल के गिरते स्तर की वजह से गंभीर जल संकट की चपेट में है। पीने के पानी की कमी और बढ़ते भूजल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई घातक बीमारियां तथा जल संकट जैसी विकराल समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण के दो प्रकार के स्रोत हैं बिंदु स्रोत एवं गैर बिंदु स्रोत। नालियां, सिवरेज लाइन, उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली गर्म पानी की नालियां आदि बिंदु स्रोत होते हैं। खेतों और गांव से निकलने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों तथा जैव अपघटनीय अपशिष्ट का अपवाह आदि गैर बिंदु स्रोत होते हैं। भारत में अपवाह जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण स्रोतों से निकलने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के प्रदूषण जल निकायों को दूषित करते हैं एवं जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। सामान्यतः जल प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं। सतही उपसतही और समुद्री जल प्रदूषण। जल प्रदूषण पानी और जलीय परिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को खराब करता है। जल प्रदूषण जल जनित रोगों का कारण बनता है और यह रोग मृत्यु के भी प्रमुख कारण बनते हैं।

अनुमान है कि 2050 तक प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति स्वच्छ पेय जल की गंभीर कमी का सामना करने को विवश होगा। भविष्य में भूजल संरक्षण के लिए हमें खेती में सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा जिससे कि जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल सके।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है, और ब्रह्मांड में ऐसा संजोग एक विरल घटना है। पृथ्वी पर जीवन होने के पीछे कुछ अहम कारण जिम्मेदार होते हैं। यहां पर जल का होना इनमें से एक प्रमुख कारण है। एक समय था जब भारत के गांव में जल के पर्याप्त स्रोत हुआ करते थे। गांव जल संरक्षण से जुड़े परंपरागत ज्ञान के केंद्र थे, लेकिन औद्योगिक विकास और नगरीकरण के दबाव के कारण जल के स्रोत नष्ट होते चले गए। आज जल की कमी समस्त देश और उपमहाद्वीपों के दायरे को लांघ कर विश्व व्यापी बन गई है। धरातल का दो तिहाई जल से घिरा है, लेकिन इसका दो–तीन प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान कोलंबो सहित अनेक एजेंसियों का अनुमान है कि भविष्य में जल की कमी बड़ी समस्या होगी।

संयुक्त राष्ट्र की 'सिक वॉटर' शीर्षक नाम की रिपोर्ट के अनुसार अब दूषित पानी से मरने वाले लोगों की संख्या युद्ध और विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। दूषित पानी से प्रति वर्ष पांच वर्ष से कम उम्र के 18 लाख बच्चों की मौत होती है। पांच वर्ष से कम उम्र का एक बच्चा पानी से संबंधित बीमारियों से प्रत्येक 20 सेकेंड में मर जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 20 लाख टन कचरे को नदियों एवं समुद्रों में प्रति दिन डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे बीमारी फैलती है, और पारिस्थितिकी–तंत्र को दुष्प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन, औद्योगिक इकाइयों, कृषि अपशिष्टों और अन्य कचरे के साथ–साथ उर्वरक अपवाह का कॉकटेल मुख्य जल प्रदूषक होता है। इसी कॉकटेल के कारण सभी प्रकार के जल प्रदूषण होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 84 प्रतिशत भारतीय, जिनकी पहुंच में स्वच्छ पानी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की सयुंक्त राष्ट्र द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि भारत के 35 राज्यों (केंद्रशासित प्रदेशों सहित) में से 7 राज्यों में स्थित गांवों ने सुरक्षित जल के स्रोत का लक्ष्य प्राप्त किया है। अधिकांश शहरों और 19000 से ज्यादा गांवों के भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, कीटनाशक आदि स्वीकार्य सीमा से अधिक मौजूद पाए गए। इस लिहाज से जल की गुणवत्ता चुनौतीपूर्ण है, और इससे यह तथ्य उजागर होता है कि 21 प्रतिशत संचारी रोग जल से ही उत्पन्न होते हैं, और जल के संक्रमण से होने वाली 75 प्रतिशत मौते 5 साल से कम उम्र के शिशुओं को अपनी चपेट में लेने से होती हैं।

हम जानते हैं कि पौधों, जंतुओं, मनुष्य और अन्य जीव स्वरूपों के सेहतमंद जीवनयापन के लिए पानी बेहद आवश्यक होता है। बढ़ती मानव आबादी ने पर्यावरण और जीव अस्तित्व के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है। भूजल–स्तर में गिरावट, जल स्रोतों का संदूषण और पानी का बेतहाशा दोहन जल संसाधनों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित और साफ पानी की उपलब्धता विकट चुनौती है।

हमारे देश में पानी का मुख्य स्त्रोत भूजल होता है, और देश की करीब 85 प्रतिशत आबादी पानी के लिए इसी स्रोत पर निर्भर होती है। इसके अलावा, ग्रामीण जलापूर्ति का शेष 15 प्रतिशत भूसतह जल स्रोत से प्राप्त होता है। सतह के पानी की अपेक्षा भूजल के प्रदूषित होने का अधिक जोखिम होता है। भूजल में गुणवत्ता के मुख्यतः दो प्रकार के मुद्दे होते हैं।

पहला, भूगर्भीय निर्माण प्रक्रिया द्वारा इनका संदूषण जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन आदि की अधिकता और दूसरा, मानवीय गतिविधियां जैसा रासायनिक उर्वरकों के हस्तक्षेप के कारण भूजल में प्रदूषण।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 4 बिलियन लोग वर्ष में कम से कम एक महीने के लिए पानी की भारी कमी का अनुभव करते हैं, और लगभग 1.6 बिलियन लोग (विश्व की आबादी का लगभग एक चौथाई) स्वच्छ, सुरक्षित जल आपूर्ति तक पहुंचने में समस्याओं से ग्रसित हैं। आईपीसीसी के एक अध्ययन में कहा गया है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता एक हजार घन मीटर से भी कम हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल संकट कितना भयंकर रूप धारण करने जा रहा है। वर्तमान भारत में विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है। हालांकि वैश्विक जल संसाधन का मात्र 4 प्रतिशत ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई जिसमें प्राकृतिक और मानव–निर्मित जल निकायों जैसे–तालाब, टैंक, झील आदि के साथ–साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं।

बेंगलुरु में पानी की यह स्थिति है कि लोग एक–एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पैसा खर्च कर बड़ी इमारतें तो बना ली गई हैं, आलीशान बाथरूमों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन उनके शावरों से पानी आना ही बंद हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग ऑफिस तक जाने की स्थिति में नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम की मांग की जा रही है। टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, पानी की बर्बादी पर 5000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बेंगलुरु को 145 लीटर करोड़ पानी कावेरी नदी से मिलता है, 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल से आता है। अब ये दोनों स्रोत सूख रहे हैं, और आईटी हब में हाहाकार मच गया है। बेंगलुरु की स्थिति देखने से पता चलता है कि उससे ज्यादा भयावह स्थिति देश के दूसरे राज्यों में हो सकती है। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारत जल संकट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

बढ़ता जल प्रदूषण उपलब्ध जल स्रोतों को प्रदूषित करके जल संकट को बढ़ा देता है, जिससे वे उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। इससे पहले से ही सीमित स्वच्छ जल की उपलब्धता और कम हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समग्र कमी बढ़ जाती है। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है। विश्व में वर्तमान समय में दो अरब से अधिक लोग स्वच्छ पेय जल की कमी का सामना कर रहे हैं।

अनुमान है कि 2050 तक प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति स्वच्छ पेय जल की गंभीर कमी का सामना करने को विवश होगा। भविष्य में भूजल संरक्षण के लिए हमें खेती में सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा जिससे जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल सके।

भारत में पहली बार केरल सरकार ने 17 अप्रैल, 2023 को जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। जल संरक्षण और जल की समस्या को दूर करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष (1993 से) 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर पानी बचाने से लेकर सभी लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की बात होती है। कह सकते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित कर जल का बचाव करना आवश्यक है। भूजल बचा रहा तो पानी की किल्लत से बचे रहेंगे। ❑❑

ज्योतिबा फुले एवं डॉ. अंबेडकर

शिक्षा के जरिए से लाई सामाजिक क्रांति

11 अप्रैल 1827 को पुणे (सतारा) महाराष्ट्र में ज्योतिबा गोविंदराव फुले का जन्म हुआ। जब वह एक वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा, सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया और 28 नवम्बर 1890 को इस संसार से चले गये उसके बाद अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के महु में हुआ और बचपन में ही इनकी माता का भी देहान्त हो गया। अपने जीवनकाल में खूब पढ़े और शिक्षा एवं सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया और वह भी 06 दिसम्बर 1956 को गहरी नींद में सो गये। ज्योतिबा की जलाई हुई जोत को मशाल बना गये और इस मशाल को न बुझने देना यह हर किसी को बता गये। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि शिक्षा से वंचित न रहे कोई।

ज्योतिबा फुले ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और 1848 में पाठशाला खोली तथा इसमें पढ़ाने के लिए प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले को प्रेरित किया जिसका परिणाम यह रहा कि उन पर गोबर फेंका गया और आखिरकार उनके पिता द्वारा उनको घर से बाहर निकाला गया। इस सब के बावजूद भी उन्होनें शिक्षा पर बल देते हुए पाठशालायें खोली। बाबा साहेब ने कहा कि ''विद्यालयों की स्थापना बच्चों को बारहखड़ी पढ़ाने के लिए नही बल्कि उन्हें सुसंस्कृत कर समाज हित उपयोगी बनाने के लिए होनी चाहिए। उन्होनें विद्यालय को समाज का लघुरूप कहा है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय में सामूहिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया तथा विद्यालय में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के वातावरण पर बल दिया। उन्होनें कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को आत्मानुभूति व आत्मोनति करना व नैतिक विकास हो। इस सबके लिए सामाजिक आदर्शों, मूल्यों व नैतिकता से पूर्ण उच्च सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता है। दोनों ही अपने आपको एक आदर्श विद्यार्थी की कहानी कहते हुए प्रतीत होते तथा विपरीत परिस्थितियों में जिज्ञासु बने रहना और लक्ष्य पर अपने आप को केन्द्रित किये हुये थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने स्वयं शिक्षित होकर शिक्षा के माध्यम सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया।

– डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा

उच्च शिक्षा के लिए भी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में हंटर कमीशन के समक्ष लिखित रूप से यह कहा कि गणित, विज्ञान, कृषि आदि के बारे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 1851 विद्यालयों की शुरूआत की और 24 सितम्बर 1878 में सत्यशोधक समाज द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया। डॉ. अम्बेडकर ने विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोतर संकायों के अलग–अलग रखने का विरोध किया। वे चाहते थे कि दोनो संकाय एकीकृत होकर कार्य करें। उच्च शिक्षा में शिक्षण एवं शोध दोनों का ही समावेश होता है। स्नातक स्तर पर शिक्षण का कार्य सम्पन्न हो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शोध को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के संबंध में उनका मत था कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता दी जाये तथा वे विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से करें। विश्वविद्यालय एक निश्चित परिधि में परीक्षा संचालन या उपाधि वितरण के लिए नही होते बल्कि शिक्षा और शोध के केन्द्र हो ऐसा उनका मानना था। साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया और कहा कि शिक्षा मातृभाषा में हो इस पर उन्होने बल दिया। उनके विश्वविद्यालय के शिक्षक जॉन डी वी गहन प्रभाव था इसके चलते सन 1945 में ''पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी'' की स्थापना की जिसके अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिसमें सिद्धार्थ कॉलेज एवं मिलिंद कॉलेज प्रमुख है।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इसके लिए उन्होनें कहा कि समाज में स्त्री और पुरूष दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके चलते उन्होनें अपनी पत्नि सावित्री बाई फुले को पढ़ाया और उनको अन्य स्त्रियों और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 1854 में विधवा आश्रम की स्थापना की विधवा स्त्रियों के बाल मुंडवाने की प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर अम्बेडकर के स्पष्ट विचार थे। उन्होनें स्पष्ट कहा कि किसी समाज में उन्नति देखनी हो तो उस समाज में स्त्री शिक्षा को देखो। इसलिए उन्होनें प्रत्येक वर्ग में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा दिये जाने पर जोर दिया। 4 अगस्त 1918 को लिखे अपने पत्र में अम्बेडकर कहते है कि ''यदि हम लोग अपने लड़कों की शिक्षा के साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दे तो हमारे समाज की तीव्र गति से उन्नति होगी।'' उन्होंने अपनी बहन को पढ़ाने पर जोर दिया साथ ही अपनी पत्नी रमाबाई को पढ़ाया। दोनों ने ही इस बदलाव की शुरूआत अपने घर से की। दोनों महामानव अपनी–अपनी सदी में अपनी विचारधारा में मानवीय दृष्टिकोण के धनी रहे है और अपने वैज्ञानिक, दृष्टिकोण, तर्कशीलता से पाखण्ड और अंधविश्वास से दूर करने का प्रयास किया है। मनुष्य को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और देश प्रेम की भावना का जन्म हो इस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था। अस्पृश्यता, जातिवाद, रंगभेद, बाल विवाह जैसे व्यापक कुप्रथाओं का विरोध किया एवं विधवा विवाह का समर्थन किया जिसके चलते 1888 में मुम्बई में विशाल सभा में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत को ''महात्मा'' की उपाधि प्रदान की गई। इसके कार्य को आगे बढ़ाते हुए अम्बेडकर ने बालिका शिक्षा, मातृत्व अवकाश, हिन्दु कोड बिल और देश में व्यापक कुप्रथाओं को खत्म करने पर बल दिया और समता, समरसता मूलक शिक्षा पर बल दिया। दोनों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था।

शिक्षा नीति 2020: शिक्षा नीति 2020 में ज्योतिबा फुले एवं अम्बेडकर की विचाराधारा को अपनाने का प्रयास किया गया है। आज हर विद्यार्थी को मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने पर बल दिया गया है एवं स्नातकोतर स्तर पर शोध को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन आज भी हमारी सरकारे शिक्षा की विषमता को दूर करने में विफल रही है। शिक्षा अधिक खर्चीली होने के कारण सिर्फ पैसे वाले की शिक्षा होती जा रही है और पैसे के बल पर उपाधि एवं डिग्रियां खरीदी जा रही है। इसलिए हम कह सकते है कि ज्योतिबा फुले एवं अम्बेडकर की जो विचारधारा थी 'अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जाए' को आघात होता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि विद्यार्थियों में लगातार मानव मूल्यों का पतन होता जा रहा है।

19वीं सदी में ज्योतिबा गोविंदराव फुले का आना और थोड़ी सी पढ़ाई के बाद भी शिक्षा की ज्योति जलाना और 20वीं सदी में अम्बेडकर आना 32 डिग्रियां एवं 09 भाषाओं का ज्ञाता ने साबित कर दिया की असंभव कुछ भी नहीं यदि आप अपने लक्ष्य पर अडिग है, और बदले की भावना के बिना यदि आप अच्छा कर्म करते है तो निश्चय ही जनमानस आप का सम्मान सदैव करता रहेगा। ज्योतिबा फुले एवं अम्बेडकर का भारतीय समाज ऋणी रहेगा। मुख्य रूप से शैक्षिक योगदान की बात की जाये तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना एवं 1873 की उनकी पुस्तक ''गुलामगिरी'' एवं अम्बेडकर द्वारा 1920 में साप्ताहिक मूकनायक का प्रकाशन व बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना द्वारा उन्होनें जो जन्म से लेकर मृत्यु उपरान्त तक असमानता एवं अस्पृश्यता का सामना किया लेकिन फिर भी समतामूलक शिक्षा व्यवस्था की बात रख कर यह साबित कर दिया कि दोनों महामानव मानवता के गुण के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने स्वयं शिक्षित होकर शिक्षा के माध्यम सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया। ❑❑

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दवा क्षेत्र

लंबे समय से चीन पर निर्भर भारत के फार्मा क्षेत्र को अब कुछ राहत मिलने लगी है; कारण है आत्मनिर्भर भारत अभियान। गौरतलब है कि वर्ष 2000 तक भारत का दवा निर्माण क्षेत्र लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। दवा निर्माण में जो आवश्यक सामग्री इस्तेमाल होती है, उसे एक्टिव फार्मास्यूटिक्ल इंग्रीडिएंट्स यानि एपीआई के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2000 तक दवा निर्माण के क्षेत्र में जिन एपीआई की आवश्यकता होती थी, वे अधिकांशतः भारत में ही निर्मित होते थे। देश में इनके निर्माताओं में आवश्यक प्रतिस्पर्धा भी थी, जिसके कारण दवा निर्माताओं को देश में एपीआई आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध होते थे। इसके कारण देश का दवा उद्योग न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा था, बल्कि दुनिया भर के लोगों को उचित कीमत पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ था।

चीन ने एक षडयंत्र के तहत भारत के एपीआई क्षेत्र को तबाह करना शुरू किया। चीन से आने वाले एपीआई को अत्यंत ही कम कीमतों पर भारत में भेजा जाने लगा। इसका असर यह हुआ कि भारत का एपीआई उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं रहा और हमारी एपीआई इकाईयां धीरे–धीरे करके बंद होने लगी। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एमोक्सीसाइकिल्न नाम की एंटीबायोटिक दवा, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट पेनीसिलिन–जी से व्युत्पन्न उत्पाद है। पेनीसिलिन–जी नाम की एपीआई भारत में पर्याप्त मात्रा में बनती थी और उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 डॉलर प्रतिकिलोग्राम था। लेकिन चीन ने इस एपीआई की डंपिंग 9 डॉलर प्रतिकिलो से भी कम पर करनी शुरू कर दी। इसके कारण भारत की इस एपीआई को बनाने वाली इकाईयां बंद हो गई। उसके बाद चीन ने इसी एपीआई को पहले दोगुणा और फिर चार गुणा कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। किसी विकल्प के अभाव में भारत की दवा कंपनियों को यह एपीआई, चीन द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदना जरूरी हो गया।

लगभग यही स्थिति अन्य एपीआई की भी रही और कई एपीआई पूर्व से 10 से 20 गुणा कीमत पर भी बेचे जाने लगे। उदाहरण के लिए फॉलिक एसिड जो विटामिन की दवा बनाने के काम आता है, की कीमत 13 गुणा से भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। ऐसी स्थिति दवाओं के लगभग सभी एपीआई के संदर्भ में थी। कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि कोरोना काल में देखी गई और यह समझ में आना शुरू हुआ कि देश में एपीआई उद्योग की पुर्नस्थापना, केवल दवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए या दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यह सर्वविदित ही है कि चीन भारत के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखता है, इसलिए दवा के लिए आवश्यक सामग्री हेतु चीन पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार को सजग रहते हुए एपीआई के क्षेत्र में चीन द्वारा की जा रही डंपिंग को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। यह बात सिर्फ एपीआई के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य रसायनों के क्षेत्र में भी लागू होती है।
– स्वदेशी संवाद

एपीआई में आत्मनिर्भरता

मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी वस्तुओं, जिनका उत्पादन चीन और अन्य देशों द्वारा डंपिंग के कारण बाधित हो गया था, के उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशों पर निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की। प्रारंभिक तौर पर इसके लिए जिन वस्तुओं की 13 श्रेणियों को चिन्हित किया गया, उनमें एपीआई भी शामिल थे।

आत्मनिर्भरता हेतु अपनाए गए उपायों में से एक महत्वपूर्ण उपाय को उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के रूप में जाना जाता है।

हर्ष का विषय यह है कि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगी है और देश दवा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन–जी जिसका भारत में उत्पादन बंद हो गया था, जिसके कारण भारतीय उद्योगों से इस एपीआई की ऊंची कीमत वसूली जा रही थी, अब उसके उत्पादन हेतु ऑरविन्दो फार्मा लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल आदि कंपनियों ने इसकी उत्पादन इकाईयां शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि ऑरविन्दो फार्मा इस पेनिसिलिन–जी एपीआई का उत्पादन अप्रैल, 2024 में और टोरेंट जून–जुलाई, 2024 में शुरू कर देगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का यह कहना है कि पीएलआई योजना और अन्य प्रयासों के कारण आज भारत अधिकांश एपीआई में आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है, जिसके कारण चीन पर निर्भरता कम हुई है। सितंबर 2023 तक पीएलआई स्कीम के तहत फार्मा कंपनियों को 4000 करोड़ रूपए और मेडिकल उपकरणों के लिए 2000 करोड़ रूप्ए के निवेश की अनुमति दी जा चुकी थी। इसके अलावा केन्द्र ने 3000 करोड़ रूपए की लागत से तीन बल्क (थोक) ड्रग पार्कों का निर्माण किया है।

घटने लगी है कीमतें

जैसे–जैसे एपीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सुपरिणाम आने लगे हैं, वैसे–वैसे एपीआई की कीमतें भी घटने लगी हैं। फार्मा उद्योग के जानकार बता रहे हैं कि एपीआई की कीमतों में कोविड के समय से अभी तक 50 प्रतिशत की कमी आई है, इसमें से सबसे तेज गति से कमी पिछले दो महीनों में ही आई है। समझा जा सकता है कि कोविड काल में जब एपीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयास शुरू हुए थे, अब वे फलीभूत होना शुरू हुए हैं। इकॉनोमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार बुखार की दवा पैरासिटामोल के एपीआई की कीमत जो कोविड काल में 900 रूपए प्रतिकिलो पहुंच गई थी, वह घटकर अब मात्र 250 रूपए प्रतिकिलो रह गई है। उसी प्रकार अस्थमा की दवा मॉनटैलूकास्ट सोडियम 45000 रूपए प्रति किलो से घटकर मात्र 28000 रूपए प्रति किलो रह गई है। एंटीबायोटिक मेरोपिनेम की एपीआई की क़ीमत 75000 रूपए प्रतिकिलो से घटकर 45000 रूपए प्रतिकिलो तक पहुंच गई है।

जानकारों का मानना है कि भारत में एपीआई उत्पादन में उठाव के चलते चीन का दवा (एपीआई और मध्यवर्ती उत्पाद समेत) कार्टेल पिछले छः महीने में टूट चुका है। शायद चीन को इस बात का आभास नहीं था कि भारत इतनी बड़ी तादाद में अपने दवा उद्योग को पुनर्जीवित करेगा, इसलिए उसने दुनिया भर के दवा उद्योग पर कब्जा जमाने की दृष्टि से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर लिया था। अब ऊंच क्षमता के कारण चीन में एपीआई की आपूर्ति बहुत अधिक बढ़ने के कारण कीमतों में कमी स्वभाविक परिणाम है। गौरतलब है कि वर्ष 2021–22 में भारत द्वारा एपीआई के आयात में भारी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2022–23 में भी इसमें कुछ वृद्धि देखी गई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जितनी थोक दवाओं का आयात वर्ष 2022–23 में हुआ, उससे लगभग 12300 करोड़ रूपए ज्यादा का निर्यात भारत से किया गया था।

अब चूंकि देश में भारी मात्रा में एपीआई का निर्माण होना शुरू हुआ है, एपीआई की घटती कीमतें उसका द्योतक हैं। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उद्योग पीएलआई और सतर्क सरकारी नीतियों के कारण पुनर्जीवित हुए हैं, वे चीन द्वारा पुनः डंपिंग का शिकार न बन जाएं। पीएलआई स्कीम के तहत जिन उद्यमियों ने निवेश किया था, उनकी सबसे बड़ी शंका इसी बात को लेकर थी।

भारत सरकार को सजग रहते हुए एपीआई के क्षेत्र में चीन द्वारा की जा रही डंपिंग को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। यह बात सिर्फ एपीआई के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य रसायनों के क्षेत्र में भी लागू होती है। रसायन उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, देश में 'सोडियम साइनाइड' के मामले में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (यूपीएल) और हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड (एचसीएल) नामक दो भारतीय कंपनियों ने 500 करोड़ रुपये की लागत से अपने संयंत्र स्थापित किए हैं। लेकिन इन संयंत्रों के स्थापित होने के बाद से ही चीन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद सोडियम साइनाइड की जमीन पर पहुंच कीमत को कम करने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर डंपिंग करना शुरू कर दिया है। इससे यूपीएल और एचसीएल द्वारा उत्पादन आर्थिक रूप से अलाभकारी हो रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशक (डीजीटीआर) ने चीन और यूरोपीय संघ से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन उद्योग के लिए ऐसी राहत पाने की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ है, देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ खुफिया एजेंसी बनाने की आवश्यकता है ताकि अन्य देशों और उनके व्यवसायों द्वारा अनैतिक व्यापार व्यवहार की ऐसी किसी भी स्थिति से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। ❑❑

नकली और मिलावटी दवाओं से नागरिकों को बचाने की जरूरत

दवाएं बीमारी के वक्त शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक होती हैं। स्वास्थ्य के लिए वरदान समझी जाने वाली यही दवाएं यदि मुनाफाखोरी का जरिया बन जाएं तो सेहत की दुश्मन बन जाती हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के एक बड़े गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपितों के पास से कैंसर की अलग–अलग ब्रांड की नकली दवाएं बरामद कीं। इनमें सात दवाएं विदेशी और दो भारतीय ब्रांड की हैं। आरोपी कीमोथैरेपी के इंजेक्शन में पचास से सौ रुपये की एंटी फंगल दवा भरकर एक से सवा लाख रुपये में बेच रहे थे। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना में औषधि नियंत्रक प्रशासक ने चाक पाउडर से भरी डमी गोलियां बरामद कीं। इसी तरह गाजियाबाद में नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। देश के अलग–अलग हिस्से से आए दिन गुणवत्ताविहीन और मिलावटी दवाओं के कारोबार से जुड़े मामले प्रकाश में आते रहते हैं। एक ही मर्ज की बाजार में मिलने वाली अलग–अलग ब्रांड की दवाओं की दक्षता में अंतर होना चिंताजनक है। नकली और मिलावटी दवाएं जहां बीमारी से लड़ने में असरदार नहीं होती हैं, वहीं वे दूसरे रोगों का कारक बनती हैं। इनका सेवन गुर्दे, यकृत, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता हैं। गुणवत्ताविहीन दवाएं निर्यात के मोर्चे पर देश की साख भी कमजोर करती हैं। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली ये गतिविधियां अब संगठित अपराध की शक्ल ले चुकी हैं।

दवा निर्माण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ये नैदानिक परीक्षण के बाद उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। दवा कंपनियों में प्रयोगशालाएं होती हैं, जहां प्रत्येक चरण का आकलन कर दवा को अंतिम रूप दिया जाता है। भारतीय भेषज संहिता (आइपीसी) और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फार्मूले से दवाओं का निर्माण, परीक्षण और संधारण होता है। हर दवा निर्माता कंपनी के लिए तय प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य है। देश में नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दंड और जुर्माने का प्रविधान है। इसके अंतर्गत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर

नकली दवाओं को बनाना–बेचना भ्रष्टाचार ही नहीं, मानवीय सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ऐसे में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाने से ही नकली और मिलावटी दवाओं से निजात मिलेगी।

–शिवनंदन लाल

आजीवन कारावास की सजा है। मिलावटी या बिना लाइसेंस दवा बनाने पर पांच साल की सजा का प्रविधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों का राष्ट्रीय नियामक है। भारत के औषधि महानियंत्रक दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण से जुड़े मानक निर्धारित करते हैं। यह राज्यों के खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। राज्य स्तर पर औषधि नियंत्रक एवं जिलों में निरीक्षक दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने वाली सबसे अहम कड़ी हैं।

देश के अलग–अलग राज्यों में 29 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा आठ केंद्रीय लैब भी स्थापित हैं। मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर नियामक एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह समझ पाना आसान नहीं कि किसी दवा का रासायनिक संयोजन क्या है। मरीजों को दवाओं के बारे में जरूरी और स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जाती। कई बार तो पर्चे पर लिखी दवा का नाम उच्च शिक्षित व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता। इसके लिए नियामकों द्वारा समय–समय पर चिकित्सकों को दवाओं के नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज को लिखी गई दवाओं में किसका क्या काम है, यदि यह जानकारी चिकित्सा द्वारा मरीज को दी जाए तो आपूर्ति तंत्र में घटिया दवाओं की मौजूदगी थमेगी। इससे चिकित्सक – मरीज के बीच भरोसा भी बढ़ेगा।

पिछले साल दवाओं में क्यूआर कोड लगाए जाने की पहल शुरू हुई है। यह सभी दवाओं में अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे दवाओं की

देश के अलग–अलग राज्यों में 29 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा आठ केंद्रीय लैब भी स्थापित हैं। मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर नियामक एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

कालाबाजारी थमेगी। दवाओं की गुणवत्ता तय करने में फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है। घटिया दवाओं से जुड़े मामलों की जितनी अधिक शिकायतें होंगी, कानूनी शिकंजा उतना ही सख्त होगा। दवा उद्योग में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार शिकायत प्रणाली को मजबूत कर रही है। कुछ दिन पहले दवा कंपनियों के लिए यूनिफार्म कोड फार फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस (यूसीएमपी), 2024 लागू किया गया है। इसके तहत अब दवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर शिकायत करने की व्यदस्था देनी होगी। कंपनियां चिकित्सकों को प्रचार के नाम पर उपहार नहीं दे सकेंगी। आयोजन में विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किए जाने वाले चिकित्सकों को ही आने–जाने एवं ठहरने की सुविधा दी जा सकती है। ऐसे आयोजनों के खर्च का ब्योरा भी यूसीएमपी के पोर्टल पर साझा करना होगा। यदि फार्मा कंपनियां दवाओं के प्रचार के अनुचित तरीके अपनाती हैं तो सीधे उनके शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यूसीएमपी संहिता के एक अन्य प्रविधान के अनुसार एक कंपनी अपनी सालाना बिक्री का सिर्फ दो प्रतिशत निःशुल्क सैंपल दवाएं बांट सकती है। भारतीय दवा उद्योग दुनिया भर में भरोसे का प्रतीक है। वैश्विक स्तर पर 20 प्रतिशत जेनरिक दवाओं की आपूर्ति भारत करता है।

एक अनुमान के मुताबिक जल्द ही भारतीय दवा बाजार 60.9 अरब डालर के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी। नकली दवाओं को बनाना–बेचना भ्रष्टाचार ही नहीं, मानवीय सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ऐसे में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाकर ही नकली और मिलावटी दवाओं से निजात मिलेगी। ❑❑

विश्व के लिए उपहार हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं

'अहिंसा परमो धर्म', 'आत्मवत सर्व भूतेषु', 'जियो और जीने दो' भगवान महावीर स्वामी के वो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो विश्व के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। जैन पंथ के प्रवर्तक महावीर स्वामी की शिक्षाएं वर्तमान में प्रासंगिक होने के साथ दुनिया को सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर परम् सुख और शांति का पाठ पढ़ाती हैं। महावीर स्वामी के द्वारा दिये गए पांच सिद्धांत – सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय व ब्रह्मचर्य, समसामयिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के साथ मानव जाति को आत्मिक शांति व अहिंसा की शिक्षा देते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा समस्त प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा का सन्देश भी दिया गया। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का अनुसरण करके समस्त विश्व न केवल अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है अपितु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए महावीर स्वामी की शिक्षाएं विश्व शांति की राह में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

महावीर स्वामी ने सत्य को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज माना जो मनुष्य को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के साथ आत्मिक सन्तुष्टि प्रदान करता है। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा ऐसे दो शस्त्र हैं जिनको धारण कर कोई भी राष्ट्र शांति के मार्ग पर चलकर सतत विकास की ओर उन्मुख हो सकता है।

मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट न पहुंचाना ही महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा है। महावीर स्वामी की यह शिक्षा वर्तमान में विश्व कल्याण के लिए नितांत आवश्यक होने के साथ आतंकवाद पर अंकुश लगा सकती है। जैन पंथ की मान्यता है 'अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं अपितु वीरों का आभूषण है'। साथ ही महावीर स्वामी ने शाकाहार को हर दृष्टि से लाभकारी बताया। वैज्ञानिक परीक्षण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मांसाहारी व्यक्ति में शाकाहारी व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा उत्तेजना, हिंसक प्रवृत्ति के

महावीर स्वामी महिलाओं की स्वतंत्रता एवं स्वाबलंबन के पक्षधर थे। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी उनके विचार वर्तमान में प्रासंगिक हैं साथ ही उनके अचौर्य के सिद्धांत को अपनाकर विश्व में भ्रष्टाचार व काले धन की समस्या का आसानी से हल निकला जा सकता है।

–अनुपमा अग्रवाल

लक्षण पाए जाते हैं तथा उनमें कई प्रकार की गम्भीर बीमारियां भी पनपती हैं।

महावीर स्वामी के अपरिग्रह के सिद्धांत से वर्तमान में पूरी दुनिया को सीख लेने की आवश्यकता है यह वह सिद्धांत है जो समाज में आर्थिक असमानता कम कर सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने के साथ सन्तुष्टि जैसे शब्द की महत्ता दर्शाता है। उनके अनुसार जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संचय मनुष्य को तनावग्रस्त बनाता है और इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपराध और हिंसा की भावना को बलवती करता है। दुनिया भर में सीमाओं के अतिक्रमण को लेकर हो रहे युद्धों को इस शिक्षा का अनुसरण करके काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

जैन पंथ में अस्तेय (चोरी करना) को पाप माना गया है और त्याग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। महावीर स्वामी ने पांच प्रकार के पाप से मनुष्य को दूर रहने की सलाह भी दी है ये हैं– हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह। साथ ही जैन पंथ का विशेष सिद्धांत है क्षमा। महावीर स्वामी सदैव सार्वभौमिक क्षमा की बात करते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जैन समाज के द्वारा भाद्रपद माह में मनाए जाने वाले 'पयूर्षण पर्व' में एक दिन 'क्षमा वाणी' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी अपनी सालभर की गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। महावीर स्वामी का यह सिद्धांत विश्व शांति एवं सौहार्द की राह में अहम भूमिका निभाने वाला है।

महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ तपस्या माना। आज के भोगवादी पाश्चात्य युग में इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं है। विशेषकर अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में निर्धनता, बेरोजगारी, बाल अपराध जैसी समस्याओं का समाधान इस सिद्धांत के अंदर निहित है।

अनेकान्तवाद अथवा साम्यवाद का सिद्धांत भी सत्य पर आधारित है। समाज में होने वाले विवाद अथवा झगड़े एकांगी दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसरण से काफी हद तक समस्याओं का निर्विवाद समाधान संभव है। महावीर स्वामी महिलाओं की स्वतंत्रता एवं स्वाबलंबन के पक्षधर थे। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी उनके विचार वर्तमान में प्रासंगिक हैं साथ ही उनके अचौर्य के सिद्धांत को अपनाकर विश्व में भ्रष्टाचार व काले धन की समस्या का आसानी से हल निकल सकता है।

महावीर स्वामी की शिक्षाओं या कहें सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करके शहर, प्रदेश या देश ही नहीं अपितु समस्त विश्व में शांति और सौहार्द का वातावरण तैयार किया जा सकता है। दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले उनके सन्देश विश्व कल्याणकारी व सुख के सच्चे रास्ते हैं।यदि समस्त मानव जाति उनके उपदेशों पर चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना सकती है। आज विश्व के सामने आतंकवाद, वर्चस्व के लिए लड़े जा रहे युद्ध, हिंसा, भ्रष्टाचार, वैमनस्य, प्रकृति के साथ खिलवाड़ आदि वैश्विक समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई समाधान हो सकता है तो वह है महावीर स्वामी का अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और समत्व का चिंतन। जो विश्व के समक्ष आधुनिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

महावीर स्वामी के सिद्धांत सामाजिक, आत्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु राजनीति के क्षेत्र में भी प्रासंगिक हैं। उनका अहिंसा का दिव्य दर्शन स्वार्थ प्रवृत्ति एवं संकीर्ण मनोवृत्ति पर विराम लगा सकता है तथा चुनावी हिंसा व आतंकवाद को रोक सकता है। 'सत्य' का पालन घोटालों में लिप्त राजनेताओं को उत्तम राह पर ला सकता है तथा अपरिग्रह और अचौर्य का संदेश भ्रष्टाचार और कालाबाजारी की गम्भीर समस्या को काफी हद तक लगाम कस सकता है जिससे सामाजिक विषमता समाप्त होने के साथ आपसी वैरभाव व कटुता कम होने से जातिगत विषमताओं को भी समाप्त किया जा सकता है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

साधारण सा व्यक्ति असाधारण उद्यम खड़ा कर सकता हैः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार (मुरादाबाद) में उद्यमिता से स्वावलंबन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आरंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ।

मुख्य वक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में तीन चीज अपनी आदत में शामिल कर लें। पहला, कांसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर कार्य करें। दूसरी, एसोसिएशन, अपने सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें और तीसरा, रिपिटेशन, अर्थात कार्यों को बार–बार करें जिससे उसमें दक्षता प्राप्त हो। असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि असफलता के कारण जानकर उन पर काम करें। उन्होंने कई सफल उद्यमियों के वृत्तांत सुनकर युवाओं को विश्वास दिलाया कि किस प्रकार एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण उद्यम खड़ा कर सकता है।

स्वावलंबी भारत के अखिल भारतीय समन्वयक डा. राजीव कुमार में अपने संबोधन में कहा कि देश के 700 जिलों में भारत को स्वावलंबी बनाने हेतु जिला रोजगार सृजन केंद्र खुल चुके हैं, जिसमें अधिकतर सक्रिय रूप से युवाओं को उद्यम स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग उद्यमिता ही है। स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के देश से नौकरी देने वाला देश बनाना है। प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने कहा कि समाज एवं युवाओं को अपनी मानसिकता को बदलना होगा, उद्यमिता में रिस्क है, लेकिन यदि सोच समझकर कार्य किया जाए तो उसके लाभ कई गुना अधिक है।

नवाचार उद्यमिता में सफलता का मूल मंत्र है। कार्यक्रम के अध्यक्ष टिमिट के प्राचार्य विपिन जैन ने कहा कि महाविद्यालय में हमारा पूरा ध्यान स्टार्टअप्स पर है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत समन्वयक कुलदीप सिंह, विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा, जिला संयोजक ए.के. अग्रवाल, महानगर संयोजक हिमांशु मेहरा, जिला महिला प्रमुख पूनम चौहान, महानगर महिला प्रमुख मीनू अरोड़ा जिला अभियान समन्वयक आमोद शर्मा, डा. राजेश अग्रवाल, अजय नारंग, प्रदीप शर्मा, कशिश चौहान आदि रहे।

युवा स्वयं रोजगार शुरु कर आत्मनिर्भर बनेंः वर्मा

युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित राजस्थान क्षेत्र के स्वावलंबन केंद्र का लोकार्पण और युवा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख श्याम मनोहर की उपस्थिति में उद्घाटन सत्र में स्वावलंबी भारत अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक श्री अनिल वर्मा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम सभी युवाओं तक पहुंचकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। युवा सरकारी नौकरियों के पीछे न भागकर स्वयं अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनें। आचार्य स्वामी रामाचार्य ने कहा कि भारत की संस्कृति और वैभवता हमेशा से ही महान रही है, लेकिन कुछ कर्म से हम इसे संभाल नहीं पाए।

मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्थितियां बदली हैं और हम स्वावलंबन, आत्मनिर्भर और संस्कृति के बल पर पुनः पुराने वैभव की ओर लौट रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक राधेश्याम रंगा ने की। उन्होंने कहा कि युवाओं में हिम्मत व साहस होना चाहिए', जिससे वे स्वावलंबन द्वारा अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें।

युवा उद्यमी निखिल व्यास ने अपनी सफल स्टोरी के माध्यम से बताया कि हम मानव समस्याओं को नवाचार तरीके से हल कर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मुख्य वक्ता व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंगठक सतीश कुमार ने कहा कि देश में हर महीने लाखों युवा नौकरी की तलाश करते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, विधायक अतुल भंसाली, प्रमोद पालीवाल, रमेश

सोनी, दिनेश चौधरी, तुलसाराम सीवर, मंजू सारस्वत, हेमराज, पूर्ण सिंह, महावीर चोपड़ा स हित कई लोग उपस्थित थे। परिहार विचार विभाग प्रमुख, तापड़िया संयोजक स्वदेशी जागरण मंच में नए दायित्वों की घोषणा की गई। दुष्यंत परिहार को विचार विभाग प्रमुख, हिमांशु तापड़िया को जिला संयोजक जोधपुर, नरेश पालीवाल को फलोदी जिला संयोजक, राजू सुथार को सह संयोजक फलोदी, सुरेंद्र चौधरी को महानगर सहसंयोजक, जयप्रकाश नारायण को विचार प्रचार प्रमुख, लीना सिंह को विभाग महिला प्रमुख, सुरेंद्र बागपालानी को सह संयोजक जोधपुर महानगर का दायित्व सौंपा।

चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगेः डॉ. अश्वनी महाजन

भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के बीच अक्सर तुलना की जाती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था कई गुना बड़ी है। चीन ने पिछले कुछ समय में ढांचागत सुविधाओं में बहुत काम किया है। वह विश्व के बाजार में पूरी तरह से छाया हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और विश्व के कई देश इस समय चीन के इस आर्थिक दबदबे से परेशान हैं। भारतीय बाजार पर बढ़ते चीन के दबदबे को कम करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। हमें औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के साथ–साथ नीतिगत रूप से भी कई कड़े फैसले लेने होंगे। चीन के आर्थिक दबदबे का सामना कैसे करे भारत? उक्त बातें दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कही। डॉ. महाजन ने कहा कि 1 जनवरी 1995 को जब विश्व व्यापार संगठन बना तो चीन इसका सदस्य तक नहीं था। 1998 में चीन ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई और वर्ष 2001 में वह इसका सदस्य बना। इसके बाद उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। चीन ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट की पद्धति को अपनाया और फिर दूसरे देशों के बाजारों में अपना सामान डंप करना शुरू कर दिया। कुछ ही साल में विश्व के बाजारों में चीन के उत्पादों ने कब्जा जमा लिया। लोगों को इसे कम कीमत पर खरीदने में मजा आया और फिर धीरे–धीरे चीन की चाल कामयाब होती चली गई।

ड्रैगन की चाल समझ में आने के बाद अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने भी अब अपने यहां चीन के उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दो तीन साल में भारत में लगभग 140 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। फरवरी 2018 से अब तक भारत सरकार चीनी उत्पादों पर चार बार टैक्स टैरिफ बढ़ा चुकी है। जिसके परिणाम स्वरूप पिछले साल अप्रैल से दिसंबर की अवधि में चीन से तीन बिलियन डॉलर का आयात कम हुआ है। महाजन ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित टैक्स टैरिफ के अनुपात में अभी एक चौथाई दर ही भारत सरकार ने चीनी उत्पाद पर बढ़ाई है, इसे उच्चतम स्तर तक ले जाना जरूरी है। इसके अलावा सरकार को भारतीय उद्योग जगत को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हित यहां सुरक्षित हैं। उद्योगों को सहूलियत मिलेंगी तो यहां कम लागत में उत्पाद तैयार होंगे। जब स्वदेशी सामान सस्ते में मिलेगा तो चीनी उत्पाद की ओर रुझान स्वतः कम हो जाएगा।

कृषि क्षेत्र में भारतीय चिंतन को स्थापित करना होगाः डॉ. राजीव

चैत्र शुक्ल पक्ष के पावन अवसर पर ग्राम मनोहरपुर में स्वदेशी जागरण मंच मुरादाबाद के तत्वावधान में शुक्रवार को भूमि सुपोषण अभियान का शुभारंभ विधिवत भूमि पूजन के साथ आरम्भ हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार ने अभियान की गतिविधियों के संबंध में बताया कि देशभर में अपने कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम स्तर तक जाकर कार्यक्रम में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करेगें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि चिंतन, भूमि सुपोषण एवं संरक्षण संकल्पनाओं को कृषि क्षेत्र में पुनः स्थापित करना है।

कृषि वैज्ञानिक डा. दीपक मेहंदीरत्ता ने कहा कि रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कमजोर हो रही है साथ ही अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से हमारी फसलें भी जहरीली हो रही है। प्रान्त संयोजक कपिल नारंग ने कहा कि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी परम्परागत जैविक खेती की ओर लौटना होगा। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, हिमांशु मेहरा, प्रशान्त शर्मा,पुष्कर कपूर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/4/12/bhartiye-krashi-chintan-saraksn-ko-krashi-chetra-mai.php

स्वदेशी शोध संस्थान का एकदिवसीय सेमिनार संपन्न

स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा भारती कॉलेज नई दिल्ली में नव संवतसर के उपलक्ष्य में पूर्व एक दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें चार सत्रीय कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ.

अश्वनी महाजन, श्री राजकुमार मित्तल (पूर्व कुलपति), अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख सीए अनिल शर्मा, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राज नेहरू, दिल्ली विश्वविद्यालय डायरेक्टर कविता शर्मा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी, सेवा इंटरनेशनल के डायरेक्टर कुमार शुभम, विधायक संजय शर्मा, डॉ छवि असरानी भारती कॉलेज की प्राचार्य सालनी गुप्ता वक्ता रहें। स्वदेशी शोध संस्थान, स्वदेशी मीडिया की टीम सहित विभिन्न प्राध्यापक, रिसर्चर, छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

नेस्ले गरीब देशों के बेबी फूड में डालता है चीनी

स्विस संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएएन) की एक जांच में दिग्गज नेस्ले के प्रोडक्ट (उत्पादों) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में नेस्ले द्वारा बेचे जाने वाले बेबी–फूड ब्रांडों में अधिक मात्रा में चीनी होती है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य विकसित देशों में ऐसे प्रोडक्ट चीनी–मुक्त हैं।

अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भारत में, सभी सेरेलैक बेबी (शिशु) प्रोडक्ट्स में प्रति सर्विंग औसतन लगभग 3 ग्राम चीनी होती है। यही प्रोडक्ट जर्मनी और ब्रिटेन में बिना चीनी के बेचा जा रहा है, जबकि इथियोपिया और थाईलैंड में इसमें लगभग 6 ग्राम चीनी होती है।

रिपोर्ट के अनुसार, नेस्ले कई देशों में बेबी के दूध और अनाज प्रोडक्ट्स में चीनी मिलाती है, जो मोटापे और पुरानी बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। कंपनी द्वारा उल्लंघन सिर्फ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में पाए गए।

हालांकि, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में अपने बेबी अनाज पोर्टफोलियो में अतिरिक्त शर्करा (चीनी) की कुल मात्रा में 30 प्रतिशत की कमी की है। इसे और कम करने के लिए उत्पादों की "समीक्षा" और "पुनर्निर्माण" जारी रखा है। हम चाइल्डहुड के लिए अपने उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में विश्वास करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।"

ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने खबर दी कि स्विस फूड दिग्गज 'गरीब देशों' में बेचे जाने वाले शिशु के दूध और अनाज उत्पादों में चीनी और शहद मिलाते हैं। इसमें पब्लिक आई और आईबीएफएएन के डेटा का हवाला दिया गया, जिसमें इन बाजारों में बेचे जाने वाले नेस्ले बेबी फूड ब्रांडों की जांच की गई। पब्लिक आई ने नेस्ले के अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के मुख्य बाजारों में दो प्रमुख ब्रांडों सेरेलैक और नोडी में बेचे गए 115 उत्पादों की जांच की।

भारत में पब्लिक आई द्वारा जांचे गए सभी सेरेलैक शिशु अनाज उत्पादों में औसतन लगभग 3 ग्राम प्रति सर्विंग अतिरिक्त चीनी पाई गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांचे गए लगभग सभी सेरेलैक शिशु अनाजों में प्रति सर्विंग लगभग 4 ग्राम अतिरिक्त चीनी होती है, जो औसतन लगभग एक चीनी क्यूब के बराबर होती है, हालांकि इन्हें छह महीने की उम्र के बच्चों पर लक्षित किया जाता है। फिलीपींस में बेचे जाने वाले उत्पाद में प्रति सर्विंग 7.3 ग्राम की उच्चतम मात्रा पाई गई।

मीडिया रिपोर्टों में डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ निगेल रॉलिन्स के हवाले से कहा गया है कि यह एक दोहरा मापदंड है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

https://www.bhaskarhindi.com/other/nestle-adds-sugar-to-baby-food-sold-in-india-but-not-in-europe-1021838?infinitescroll=1

'सेवा संकल्प रसोई' का उद्घाटन

रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भूखे को भोजन कराना, भारतीय संस्कृति में पुण्य कार्य माना जाता है। गरीब को भरपेट भोजन मिल जाए तो यह महापुण्य है। इससे गरीब का सशक्तिकरण भी होगा, जो अंततः विकसित भारत की आधार भूमि का कार्य करेगा।

स्वदेशी जागरण मंच काफ़ी लंबे समय से सामुदायिक रसोई के लिए नीति निर्माताओं से आग्रह करता रहा है। बहुत पहले कुछ राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी यह विषय शामिल हुआ था। कई संस्थाएँ इस कार्य में संलग्न है। हमारा प्रयास है कि स्थान–स्थान पर इस प्रकार के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया जाये।

मार्च 23, 2024 को स्वदेशी जागरण मंच और स्वर्णिम भारत फाउंडेशन द्वारा गरीबों को 10 रुपये की दर पर भोजन कराने के लिए सेक्टर–8, आर.के. पुरम् में 'सेवा संकल्प रसोई' का उद्घाटन स्वदेशी जागरण मंच के संगठक श्री कश्मीरी लाल और मंच के अखिल भारतीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा किया गया। ❑❑

स्वदेशी मेला, जमशेदपुर (झारखंड)

सचित्र झलक

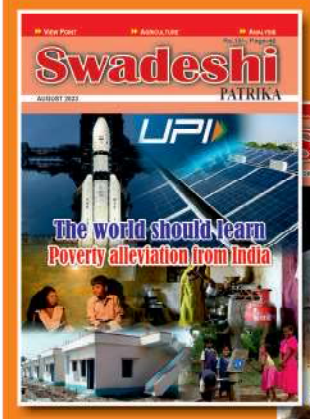

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI

Patrika

स्वदेशी

पत्रिका

पढ़ें और

पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अप्रैल 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

निधि संग्रह अभियान

सचित्र झलक

Amritsar, Punjab

Bijnore, UP

हापुड़, उ.प्र.

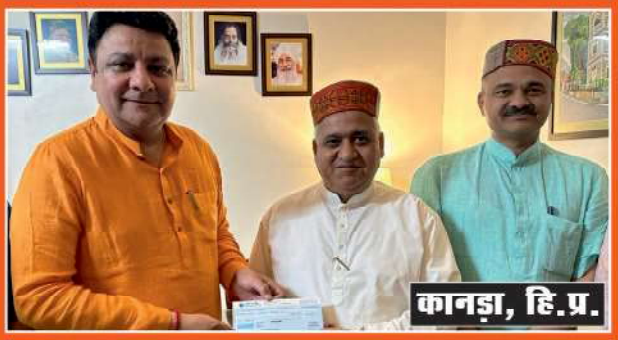
कानड़ा, हि.प्र.

होशियारपुर, पंजाब

मेरठ, उ.प्र.

राजकोट, सौराष्ट्र

जालंधर, पंजाब

मुरादाबाद, उ.प्र.

लुधियाना, पंजाब

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती